हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 सितम्बर, 2002

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 2 सितम्बर, 2002

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)19
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)42
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)48
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--	(1)53
राज्य में सूखे की स्थिति सम्बन्धी	(1)53
विभिन्न मामले उठाना	(1)53
वाक आउट	(1)64
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(1)64
राज्य में सूखे की स्थिति सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(1)64
वक्तव्य—	(1)65
नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(1)65

मूल्य : 63

वाक आउट्स (1)73

वक्तव्य-- (1)65

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ) (1)75

सदस्य का निलम्बन (1)76

वाक आउट

वक्तव्य--

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ) (1)79

घोषणाएं— (1)87

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) सभापतियों की सूची

(ii) याचिका समिति

(ख) सचिव द्वारा—

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी (1)87

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना (1)88

सदन की मेज पर रखे गए पुनः रखे गए कागज-पत्र (1)91

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (1)93

(i) श्री रघुबीर सिंह कादयान, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1)93

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, एम०एल०ए०, श्री धर्मवीर सिंह श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

(iv) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 2 सितम्बर, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ऑबिचुरी रैफरैंसिज होंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ महान विभूतियां इस संसार को छोड़ कर चली गई हैं। कई राजनेता, कई समाजसेवी तथा कई देशभक्त आज हमारे बीच में नहीं रहे।

श्री कृष्ण कांत, भारत के उप-राष्ट्रपति

यह सदन भारत के उप-राष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत के 27 जुलाई, 2002 को हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 फरवरी, 1927 को गांव कोट मोहम्मद खान, जिला अमृतसर में स्वतन्त्रता सेनानी लाला अचिन्त राम और श्रीमती सत्यावती के परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर के डी0ए0वी0 कॉलेज तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई, जहां से उन्होंने प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें दो साल के लिए जेल भेजा गया। राजनीति में प्रवेश से पूर्व वह विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे।

वह 1966 से 1977 तक हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1977 में चण्डीगढ़ से लोक सभा के लिए चुने गये। सांसद के रूप में उन्होंने विदेशी मामलों, रक्षा नीति, भूमि सुधारों, चुनाव सुधारों तथा प्रैस की स्वतन्त्रता से जुड़े विषयों पर हुई चर्चाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री कृष्ण कांत ने वर्ष 1968 में डकार, सेनेगल में आयोजित अन्तर संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया तथा अनेक देशों की सद्भावना यात्राएं कीं। वह 1976 में 'पीपल्ज यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एण्ड डैमोक्रेटिक राईट्स' के संस्थापक सचिव बने। वह 1991 से 'सरवेंट्स ऑफ दि पीपल्ज सोसायटी' के अध्यक्ष भी रहे।

वह 1990 से 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1996-97 के दौरान उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्भाला। उन्होंने 1997 से अपने निधन के समय तक देश के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति पद को सुशोभित किया। वह ईमानदारी, विनम्रता तथा मानवीय और गांधीवादी मूल्यों की सच्ची प्रतिमूर्ति थे।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे मेरे उनके साथ बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध रहे हैं। वे हमारे हिसार जिले से खासतौर पर बिलोंग करते थे। जब कभी भी हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला उन तक पहुंचता था तो वे एक क्षण की देरी किए बिना उस मामले का निपटान किया करते थे। इस प्रकार वे व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा के साथ जुड़े हुए थे। उनके चले जाने से हमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बी०डी० जत्ती, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति

यह सदन भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती, के 7 जून, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 सितम्बर, 1912 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वह 1958 से 1962 तक मैसूर स्टेट के मुख्य मन्त्री रहे। वह 1968 से 1972 तक पांडीचेरी के लैफ्टिनैंट गवर्नर और 1972 से 1974 तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे। वह 1974 से 1979 तक देश के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति रहे। 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक वह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री फतेह चन्द विज, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फतेह चन्द विज के 30 मई, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 3 जनवरी, 1917 को हुआ। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1967, 1968, 1977 और 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

वे एक ऐसे विधान सभा के सदस्य थे जो कि सुबह अपने घर से निकल कर अपने क्षेत्र के एक-एक व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करते थे और अगर किसी को कोई कठिनाई होती थी तो उसको अपने साथ बस में बिठाकर लाते थे और उसकी कठिनाई को हल करवाते थे। सही मायने में वे हर आम व्यक्ति के नजदीक थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव अभय सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव अभय सिंह के 27 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली सितम्बर, 1923 को हुआ। उन्होंने सेंट स्टीफन्ज कॉलेज, दिल्ली से स्नातक की डिग्री और शिमला के लॉ कॉलेज से विधि की डिग्री प्राप्त की। वह 1952, 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1972 से 1977 तक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट, रेवाड़ी के अध्यक्ष भी रहे। वह ईमानदारी व सादगी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री खिल्लन सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खिल्लन सिंह के 3 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 2 जनवरी, 1945 को हुआ। उन्होंने एम०ए० तथा एल०एल०बी० की डिग्रियां प्राप्त कीं। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मनसा राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री मनसा राम के 13 जुलाई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1920 में हुआ। वह 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड जंगीर सिंह जोगा, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड जंगीर सिंह जोगा के 24 अगस्त, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 11 अक्तूबर, 1908 को हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर देश की आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। वह कई बार जेल गए। वह 1954में पैप्सू विधान सभा तथा 1957, 1962, 1967 और 1972 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी एवं अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री दरबारी लाल गुप्ता, संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री दरबारी लाल गुप्ता के 21 जुलाई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 नवम्बर, 1919 को हुआ। वह 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह 1952 से 1958 तक जगाधरी नगर सुधार मण्डल के अध्यक्ष भी रहे। वह 1961 में लंदन में आयोजित कॉमनवैल्थ संसदीय कांफ्रेंस में भारत सरकार की ओर से भेजे गए 14 सदस्यीय शिष्टमण्डल में शामिल थे। वह 1962 से 1966 तक पंजाब लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। वह 1966 से 1972 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक व योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सूचना मिली है कि आज सुबह 10 बजे राव हरी सिंह यादव जो हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, उनका भी अकस्मात निधन हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों के साथ ही जोड़ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों के साथ जोड़ दिया जाए।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपनी बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. कैप्टन दलीप सिंह, गांव मितावल, ज़िला भिवानी
2. श्री प्रेम स्वरूप, माडल टाऊन, रेवाड़ी
3. श्री बिशना राम, गांव चाहरवाला, ज़िला सिरसा
4. श्री ईशरी सहाय, गांव गढ़ी बोलनी, ज़िला रेवाड़ी
5. श्री डेविड अब्बेनज़र, ऐलनाबाद, ज़िला सिरसा
6. श्री भागमल, गांव नखड़ौला, ज़िला गुड़गांव
7. श्री शाहमल, गांव लाखुवास, ज़िला गुड़गांव
8. श्री रघुबीर सिंह, गांव रामपुर, ज़िला गुड़गांव
9. श्री कांसीराम, गांव शुर्कापुर, ज़िला गुड़गांव
10. चौधरी रामसिंह, गांव कोट, ज़िला भिवानी

11. श्री हरि सिंह, गांव करोड़ा, ज़िला कैथल
12. श्री शेर सिंह, गांव करोड़ा, ज़िला कैथल
13. श्री मांगे राम सिंगला, महादेव कालोनी, कैथल

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. सहायक कमाण्डेंट नरेश यादव, गांव नन्दरामपुरबास, ज़िला रेवाड़ी
2. सहायक कमाण्डेंट सुमेर सिंह, गांव बहल्बा, ज़िला रोहतक
3. मेजर योगेश गुप्ता, अम्बाला छावनी
4. कैप्टन अतुल सोमरा, अम्बाला छावनी
5. लैफ्टिनैंट अरविन्द मलिक, गांव देवीपुरा, ज़िला सोनीपत
6. स्क्वाड्रन लीडर संजय भारद्वाज, सिविल लाईन, गुड़गांव
7. फ्लाईंग ऑफिसर संदीप पल्लरवाल, गांव भाली आनन्दपुर, जिला रोहतक
8. हवलदार रूपचन्द, गांव मालड़ा सराय, ज़िला महेन्द्रगढ़
9. हवलदार कृष्ण कुमार, गांव धामड़, ज़िला रोहतक
10. नायक ओम प्रकाश, गांव पालड़ी, ज़िला भिवानी
11. लॉस नायक जसवंत सिंह, गांव बास दूदा, ज़िला रेवाड़ी
12. लॉस नायक राधेश्याम, पटौदी, ज़िला गुड़गांव
13. लॉस नायक बिजेन्द्र सिंह, गांव रोहणा, ज़िला सोनीपत
14. लॉस नायक नरेन्द्र सिंह, गांव खेड़की, ज़िला गुड़गांव
15. राईफलमैन ओमवीर, गांव निडाना, ज़िला रोहतक
16. राईफलमैन सुभाष चन्द्र, गांव खारिया, ज़िला हिसार
17. ग्रेनेडियर रमेश चन्द्र, गांव ढाणी बीरण, ज़िला भिवानी
18. सिपाही महेश कुमार, गांव खेड़ी, ज़िला महेन्द्रगढ़
19. सिपाही घनश्याम, गांव तोताडेडी, ज़िला महेन्द्रगढ़
20. सिपाही भीम सिंह, गांव रसीना, ज़िला कैथल
21. सिपाही रमेश कुमार, गांव निज़ामपुर, ज़िला सोनीपत
22. सिपाही मदन लाल, गांव आनन्दगढ़, ज़िला सिरसा

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

23. सिपाही राजबीर सिंह, गांव खरकड़ी माखवान, ज़िला भिवानी

24. सिपाही हरकेश कुमार, गांव सुर्खपुर, ज़िला रेवाड़ी

25. सिपाही भूपेन्द्र दहिया, गांव थाना खुर्द, ज़िला सोनीपत

26. सिपाही मंगत राम, गांव फतेहपुर, ज़िला यमुनानगर

27. सिपाही पिंकु सिंह, गांव सालवान, ज़िला करनाल

28. सिपाही सुरेश कुमार, गांव गढ़ी बोलनी, ज़िला रेवाड़ी

29. सिपाही रामफल यादव, गांव डहीना, ज़िला रेवाड़ी

30. सिपाही धर्मपाल, गांव शामलो खुर्द, ज़िला जीन्द

31. सिपाही राम मेहर, गांव खेदड़, ज़िला हिसार

32. सिपाही राधेश्याम, गांव तलवण्डी राणा, ज़िला हिसार

33. सिपाही भीम सिंह, गांव सेहलांग, ज़िला झज्जर

34. सिपाही अली अहमद, गांव निर्जापुर, ज़िला यमुनानगर

35. सिपाही संदीप कुमार, गांव फ़िदेड़ी, ज़िला रेवाड़ी

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोग

यह सदन जम्मू-कश्मीर में जम्मू के रघुनाथ मन्दिर एवं राजीव नगर कालोनी, सैनिक परिसर कालूचक्क, राजौरी ज़िले के थाना मण्डी क्षेत्र के गांव दुदसांबाला तथा राज्य के अन्य स्थानों में एवं पहलगाम के नज़दीक अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमलों में मारे गये निर्दोष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन सांसद चौधरी राम चन्द्र बैन्दा के भाई, **चौधरी प्रताप सिंह बैन्दा,** हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के ससुर, **चौधरी राम चन्द्र मटोरिया** और उनकी सास, **श्रीमती जय कौरी देवी** तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भगवान सहाय रावत की धर्मपत्नी के छोटे भाई, **डॉ० कुमेर सिंह** के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी तरह से सरदार गुलजार सिंह पुत्र सरदार लाभ सिंह गांव गुमथला हरियाणा के रहने वाले थे और कृषि मंत्री सरदार जसविन्द्र सिंह संधू के मौसा जी थे उनका भी देहावसान हो गया है उनकी उम्र 65 वर्ष थी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अभी परसों ही जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर टैलीविजन पर हमने देखा कि पांच बच्चों का आकस्मिक रूप से करंट लगने की वजह से किसी फाल्ट के आ जाने की वजह से निधन हो गया। आज पता लगा कि उड़ीसा में भी एक नौका के डूब जाने से लगभग 50-60 लोगों का निधन हो गया। उनको भी इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा गांव बमनौली, जिला झज्जर के सिपाही जयवीर सिंह का नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके अलावा कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा समाजसेवी या कोई शहीद देश भक्त और हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों के परिवारजनों से जुड़े हुये कोई व्यक्ति यदि इस संसार से चले गये हों तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि पूरे सदन की सहमति से उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : जो किसान मारे गए हैं उनके नाम भी इसमें शामिल किए जाने चाहिएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है कि जिस किसी का नाम रह गया हो, पूरे सदन की सहमति से शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत के 27 जुलाई, 2002 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 28 फरवरी, 1927 को गांव कोट मोहम्मद खान, जिला अमृतसर में स्वतन्त्रता सेनानी लाला अचिन्त राम और श्रीमती सत्यवती के परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर के डी०ए०वी० कालेज तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई, जहां से उन्होंने प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें दो साल के लिए जेल भेजा गया। राजनीति में प्रवेश से पूर्व वह विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे।

वह 1966 से 1977 तक हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य रहे। वह 1977 में चण्डीगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में उन्होंने विदेशी मामलों, रक्षा नीति, भूमि सुधारों, चुनाव सुधारों तथा प्रैस की स्वतन्त्रता से जुड़े विषयों पर हुई चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री कृष्ण कांत ने वर्ष 1968 में डकार, सैनेगल में आयोजित अन्तरसंसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया तथा अनेक देशों की सद्भावना यात्राएं की। वह 1976 में पीपल्ज यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एण्ड डैमोक्रेटिक राइट्स के संस्थापक सचिव बने। वह 1991 से सरवैंट्स ऑफ दि पीपल्ज सोसायटी के अध्यक्ष भी रहे।

वह 1990 से 1997 तक आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1996-97 के दौरान उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। उन्होंने 1997 से अपने निधन के

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

समय तक देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद को सुशोभित किया। वह ईमानदारी, विनम्रता और मानवीय और गांधीवादी मूल्यों की सच्ची प्रतिमूर्ति थे।

उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। व्यक्तिगत रूप से हमारा गहरा संबंध था। मैं बचपन से ही उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। जहां व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हुआ है वहीं हरियाणा का भी बहुत नुकसान हुआ है। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत नुकसान और दुख हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि उनकी माता जो आज भी जीवित हैं, वह जो सूत कातती थीं, उससे जो भी कपड़ा बनता था, उनसे कपड़े बनवाकर वे आखिरी समय तक पहनते रहे। उनके निधन से हरियाणा एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। वे मेरे पिता जी के भी सहयोगी रहे हैं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी0डी0 जत्ती के 7 जून, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 10 सितम्बर, 1912 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1958 से 1962 तक मैसूर स्टेट के मुख्य मंत्री रहे। वह 1968 से 1972 तक पांडीचेरी के लैफ्टिनैंट गवर्नर और 1972 से 1974 तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे। वह 1974 से 1979 तक देश के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति रहे। 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक वह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फतेह चन्द विज के 30 मई, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 3 जनवरी, 1917 को हुआ। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1967, 1968, 1977 और 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव अभय सिंह के 27 मई, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म पहली सितम्बर, 1923 को हुआ। उन्होंने सेंट स्टीफन्ज कॉलेज, दिल्ली से स्नातक की डिग्री और शिमला के लॉ कॉलेज से विधि की डिग्री प्राप्त की। वह 1952, 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1972 से

1977 तक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट, रिवाड़ी के अध्यक्ष भी रहे। वह ईमानदारी व सादगी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। मैं व्यक्तिगत रूप से बचपन से उनको जानता था। उनके पुत्र कैप्टन अजय सिंह यादव आज हमारे साथ विधान सभा के सदस्य हैं और वे अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खिल्लन सिंह के 3 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 2 जनवरी, 1945 को हुआ। उन्होंने एम०ए० तथा एल०एल०बी० की डिग्रीयां प्राप्त कीं। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री जिले सिंह मलिक के 21 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

व्यवसाय से कृषक, श्री जिले सिंह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री मनसा राम के 13 जुलाई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म वर्ष 1920 में हुआ। वह 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड जंगीर सिंह जोगा के 24 अगस्त, 2002 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 11 अक्तूबर, 1908 को हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। वह कई बार जेल गए। वह 1954 में पैप्सू विधान सभा तथा 1957, 1962, 1967 और 1972 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। व्यक्तिगत तौर पर मैंने बचपन से उनका जीवन देखा है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी एवं अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री दरबारी लाल गुप्ता के 21 जुलाई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 4 नवम्बर, 1919 को हुआ। वह 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह 1952 से 1958 तक जगाधरी नगर सुधार मण्डल के अध्यक्ष भी रहे। वह 1961 में लंदन में आयोजित कॉमनवैल्थ संसदीय कांफ्रेंस में भारत सरकार की ओर से भेजे गए 14 सदस्यीय शिष्टमण्डल में शामिल थे। वह 1962 से 1966 तक पंजाब लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। वह 1966 से 1972 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक व योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राव हरी सिंह का शोक प्रस्ताव रखा मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :- कैप्टन दलीप सिंह, गांव मितावल, जिला भिवानी, श्री प्रेम स्वरूप, माडल टाऊन, रेवाड़ी, श्री बिशना राम, गांव चाहरवाला, जिला सिरसा, श्री ईशरी सहाय, गांव गढ़ी बोलनी, जिला रेवाड़ी, श्री डेविड अब्बेनजर, ऐलनाबाद, जिला सिरसा, श्री भागमल, गांव नखड़ौला जिला गुड़गांव, श्री शाहमल, गांव लाखुवास, जिला गुड़गांव, श्री रघुबीर सिंह, गांव रामपुर, जिला गुड़गांव, श्री कांसीराम, गांव तुर्कापुर, जिला गुड़गांव, चौधरी राम सिंह, गांव कोट, जिला भिवानी, श्री हरी सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री शेर सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री मांगे राम सिंगला, महादेव कालोनी, कैथल। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :- सहायक कमांडैंट नरेश यादव, गांव नंदरामपुरबास, जिला रेवाड़ी, सहायक कमांडैंट सुमेर सिंह, गांव बहलबा, जिला रोहतक, मेजर

योगेश गुप्ता, अम्बाला छावनी, कैप्टन अतुल सोमरा, अम्बाला छावनी, लैफ्टिनैंट अरविंद मलिक, गांव देवीपुरा, जिला सोनीपत स्कवाड्रन लीडर संजय भारद्वाज, सिविल लाईन, गुड़गांव, फ्लाइंग ऑफिसर संदीप पल्लरवाल, गांव भाली आनन्दपुर, हवलदार रूपचंद, गांव मालड़ा सराय, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार कृष्ण कुमार, गांव धामड़, जिला रोहतक, नायक ओम प्रकाश, गांव पालड़ी, जिला भिवानी, लांस नायक जसवंत सिंह, गांव बास दूदा, जिला रेवाड़ी, लांस नायक राधेश्याम, पटौदी, जिला गुड़गांव, लांस नायक विजेन्द्र सिंह, गांव रोहणा, जिला सोनीपत, लांस नायक नरेन्द्र सिंह, गांव खेड़की, जिला गुड़गांव, राईफलमैन ओमबीर, गांव निडाना, जिला रोहतक, राईफलमैन सुभाष चन्द्र, गांव खारिया, जिला हिसार, ग्रेनेडियर रमेश चन्द्र, गांव ढाणी बीरण, जिला भिवानी, सिपाही महेश कुमार, गांव खेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही घनश्याम, गांव तोताहेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही भीम सिंह, गांव रसीना, जिला कैथल, सिपाही रमेश कुमार, गांव निज़ामपुर, जिला सोनीपत, सिपाही मदन लाल, गांव आनन्दगढ़, जिला सिरसा, सिपाही राजबीर, गांव खरकड़ी गाखवान, जिला भिवानी, सिपाही हरकेश कुमार, गांव सुर्खपुर, जिला रेवाड़ी, सिपाही भूपेन्द्र दहिया, गांव थाना खुर्द, जिला सोनीपत, सिपाही मंगत राम, गांव फतेहपुर, जिला यमुनानगर, सिपाही पिंकू सिंह, गांव सालवान, जिला करनाल, सिपाही सुरेश कुमार, गांव गढ़ी बोलनी, जिला रेवाड़ी, सिपाही रामफल यादव, गांव डहीना, जिला रेवाड़ी, सिपाही धर्मपाल, गांव शामलो खुर्द, जिला जीन्द, सिपाही राममेहर, गांव खेदड़, जिला हिसार, सिपाही राधेश्याम, गांव तलवण्डी राणा, जिला हिसार, सिपाही भीम सिंह, गांव सेहलंगा, जिला झज्जर, सिपाही अली अहमद, गांव मिर्जापुर, जिला यमुनानगर, सिपाही संदीप कुमार गांव फिदेड़ी, जिला रेवाड़ी और इसके अलावा जो नाम लिये गये हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् वीरों की शहदत में संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जम्मू के रघुनाथ मन्दिर एवं राजीव नगर कालोनी, सैनिक परिसर कालूचक्क, राजौरी जिले के थाना मण्डी क्षेत्र के गांव दुदसांबाला तथा राज्य के अन्य स्थानों में एवं पहलगाम के नजदीक अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

स्पीकर साहब, मैं सांसद चौधरी राम चन्द्र बैन्दा के भाई, चौधरी प्रताप सिंह बैन्दा, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के ससुर, चौधरी राम चन्द्र मटोरिया और उनकी सास, श्रीमती जय कौरी देवी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भगवान सहाय रावत की धर्मपत्नी के छोटे भाई, डा० कुमेर सिंह के दु:खद निधन पर शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर साहब, इन शोक प्रस्तावों में सदन के नेता ने सरदार गुलजार सिंह, गुम्थला के नाम का भी जिकर किया है, मैं भी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

स्पीकर साहब, धर्मवीर जी ने एक स्लीप मुझे दी है। उसमें बताया गया है कि गांव मटानी जिला भिवानी का पंडितों का लड़का भी देश के लिए शहीद हो गया है। मेरा सदन के नेता से अनुरोध है कि इसको भी इन शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया जाये। इस का नाम तो इस स्लीप में नहीं लिखा हुआ, वह हम बाद में आपको बता देंगे। इस परिवार के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति भी मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर साहब, इसके अलावा जिला जीन्द में जिन 9 किसानों की डैथ हुई उनके नाम हैं, रामसरूप आयु 55 वर्ष गांव शिमला, जिला जींद। रामदिया आयु 52 साल, हरिजन गांव खुराणा जिला जींद। राजेश आयु 14 साल गांव कण्डेला जिला जींद। ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष गांव राजपुर भैण जिला जींद। महासिंह आयु 68 वर्ष गांव राजपुर भैण जिला जींद। दिलबाग सिंह आयु 40 वर्ष गांव राजपुर भैण जिला जींद। राजबीर आयु 42 साल गांव मुलकनी जिला जींद। नरेश आयु 23 साल गांव कुलकनी जिला जींद तथा बिजेन्द्र आयु 22 साल गांव गुलकनी जिला जींद यानि इन किसानों ने अपनी शहीदी दी है, अपने वर्ग के लिए अपने संघर्ष के लिए उनके परिवार वालों के प्रति मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा जो सुझाव सदन के नेता ने या दूसरे साथियों ने रखे हैं या जो नाम रह गए हैं उनके सुझाव से मैं सहमत हूं और उन सभी शोक संतप्त परिवार वालों के प्रति भी मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र और इस विधान सभा सत्र के बीच में बहुत सी महान विभूतियां हमारे बीच से चली गई हैं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ उन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत के 27 जुलाई, 2002 को हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 28 फरवरी, 1927 को गांव कोट मोहम्मद खान, जिला अमृतसर में स्वतन्त्रता सेनानी लाला अचिन्त राम और श्रीमती सत्यवती के परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर के डी०ए०वी० कालेज तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई, जहां से उन्होंने प्रौद्योगिकी में स्नात्कोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें दो साल के लिए जेल भेजा गया। राजनीति में प्रवेश से पूर्व वह विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे।

वह 1966 से 1977 तक हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य रहे। वह 1977 में चण्डीगढ़ में लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में उन्होंने विदेशी मामलों, रक्षा नीति, भूमि सुधारों, चुनाव सुधारों तथा प्रैस की स्वतन्त्रता से जुड़े विषयों पर हुई चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री कृष्ण कांत ने वर्ष 1968 में डकार, सैनेगल में आयोजित अन्तर संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया तथा अनेक देशों की सदभावना यात्राएं की। वह 1976 में पीपल्ज यूनियन फार सिविल लिबर्टीज एण्ड डैमोक्रेटिक राइटस के संस्थापक सचिव बने। वह 1991 से सर्वेंट्स आफ दि पीपल्ज सोसायटी के अध्यक्ष भी रहे।

वह 1990 से 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1996-97 के दौरान उन्होंने तमिलनाडू के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। उन्होंने 1997 से अपने निधन के समय तक देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद को सुशोभित किया। वह ईमानदारी, विनम्रता और मानवीय और गांधीवादी मूल्यों की सच्ची प्रतिमूर्ति थे।

उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतिप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भारत वर्ष के पूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती के 7 जून, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 10 सितम्बर, 1912 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1958 से 1962 तक मैसूर स्टेट के मुख्य मंत्री रहे। वह 1968 से 1972 तक पांडीचेरी के लैफ्टिनैंट गवर्नर और 1972 से 1974 तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे। वह 1974 से 1979 तक देश के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति रहे, 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक वह देश के कार्यवाहक राट्रपति रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फतेह चन्द विज के 30 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 3 जनवरी, 1917 को हुआ। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1967, 1968, 1977 और 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। वे बहुत ही समृद्धशाली तथा समाज में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव अभय सिंह के 27 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म पहली सितम्बर, 1923 को हुआ। उन्होंने सेंट स्टीफन्ज कॉलेज, दिल्ली से स्नातक की डिग्री और शिमला के लॉ कॉलेज से विधि की डिग्री प्राप्त की। वह 1952, 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1972 से 1977 तक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट, रिवाड़ी के अध्यक्ष भी रहे। वह ईमानदारी व सादगी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खिल्लन सिंह के 3 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 2 जनवरी, 1945 को हुआ। उन्होंने एम०ए० तथा एल०एल०बी० की डिग्रीयां प्राप्त कीं। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया।

स्पीकर सर, वे मेरे जिले से सम्बन्ध रखते थे। उनके बारे में मुझे याद है चौधरी देवी लाल जी जब 1985-86 में हरियाणा आन्दोलन चला रहे थे तो मंचों पर कहा करते थे कि देश में कुछ ही हीरे होते हैं और कुछ अनमोल हीरे होते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता। वे विधान सभा के अनमोल हीरे थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री जिले सिंह मलिक के 21 मई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

व्यवसाय से कृषक, श्री जिले सिंह मलिक 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री मनसा राम के 13 जुलाई, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म वर्ष 1920 में हुआ। वह 1972 में हरियाणा सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड जंगीर सिंह जोगा के 24 अगस्त, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 11 अक्तूबर, 1908 को हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। वह कई बार जेल गए। वह 1954 में पैप्सू विधान सभा तथा 1957, 1962, 1967 और 1972 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी एवं अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री दरबारी लाल गुप्ता के 21 जुलाई को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 4 नवम्बर, 1919 को हुआ। वह 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह 1952 से 1958 तक जगाधरी नगर सुधार मण्डल के अध्यक्ष भी रहे। वह 1961 में लंदन में आयोजित कॉमनवैल्थ संसदीय कांफ्रेंस में भारत सरकार की ओर से भेजे गए 14 सदस्यीय शिष्टमण्डल में शामिल थे। वे 1962 से 1966 तक पंजाब लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। वह 1966 से 1972 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक व योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव हरि सिंह यादव के हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :- कैप्टन दलीप सिंह, गांव मिताथल, जिला भिवानी, श्री प्रेम स्वरूप, माडल टाऊन, रेवाड़ी, श्री बिशना राम, गांव बाहरवाला, जिला सिरसा, श्री ईशरी सहाय, गांव गढ़ी बोलनी, जिला रेवाड़ी, श्री डेविड अब्बेनज़र, ऐलनाबाद, जिला सिरसा, श्री भागमल, गांव नखड़ौला, जिला गुड़गांव, श्री शाहमल, गांव लाधुवास, जिला गुड़गांव, श्री रघुबीर सिंह, गांव रामपुर, जिला गुड़गांव, श्री कांसीराम, गांव तुर्कापुर, जिला गुड़गांव, चौधरी राम सिंह, गांव कोट, जिला भिवानी, श्री हरी सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री शेर सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री मांगे राम सिंगला, महादेव कालोनी, कैथल। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :- सहायक कमांडैंट नरेश यादव, गांव नंदरामपुरबास, जिला रेवाड़ी, सहायक कमांडैंट सुमेर सिंह, गांव बहल्बा, जिला रोहतक, मेजर योगेश गुप्ता, अम्बाला छावनी, कैप्टन अतुल सोमरा, अम्बाला छावनी, लैफ्टिनैंट अरविंद मलिक, गांव देवीपुरा, जिला सोनीपत, स्कवाड्रन लीडर संजय भारद्वाज, सिविल लाईन, गुड़गांव, फ्लाईंग

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

आफिसर संदीप पल्लरवाल, गांव माली आनन्दपुर, हवलदार रूपचंद, गांव मालड़ा सराय, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार कृष्ण कुमार, गांव धामड़, जिला रोहतक, नायक ओम प्रकाश, गांव पालड़ी, जिला भिवानी, लांस नायक जसवंत सिंह, गांव बास दूदा, जिला रेवाड़ी, लांस नायक राधेश्याम, पटौदी, जिला गुड़गांव, लांस नायक विजेन्द्र सिंह, गांव रोहणा, जिला सोनीपत, लांस नायक नरेन्द्र सिंह, गांव खेड़की, जिला गुड़गांव, राईफलमैन ओमबीर, गांव निडाना, जिला रोहतक, राईफलमैन सुभाष चन्द्र, गांव खारिया, जिला हिसार, ग्रनेडियर रमेश चन्द्र, गांव ढाणी बीरण, जिला भिवानी, सिपाही महेश कुमार, गांव खेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही घनश्याम, गांव तोताहेड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही भीम सिंह, गांव रसीना, जिला कैथल, सिपाही रमेश कुमार, गांव निजामपुर, जिला सोनीपत, सिपाही मदन लाल, गांव आनन्दगढ़, जिला सिरसा, सिपाही राजबीर, गांव खरकड़ी माखवान, जिला भिवानी, सिपाही हरकेश कुमार, गांव सुर्खपुर, जिला रेवाड़ी, सिपाही भूपेन्द्र दहिया, गांव थाना खुर्द, जिला सोनीपत, सिपाही मंगत राम, गांव फतेहपुर, जिला यमुनानगर, सिपाही पिंकू सिंह, गांव सालवन, जिला करनाल, सिपाही सुरेश कुमार, गांव गढ़ी बोलनी, जिला रेवाड़ी, सिपाही रामफल यादव, गांव डहीना, जिला रेवाड़ी, सिपाही धर्मपाल, गांव शामलो खुर्द, जिला जीन्द, सिपाही राममेहर, गांव खेदड़, जिला हिसार, सिपाही राधेश्याम, गांव तलवण्डी राणा, जिला हिसार, सिपाही भीम सिंह, गांव सेहलंगा, जिला झज्जर, सिपाही अली अहमद, गांव मिर्जापुर, जिला यमुनानगर, सिपाही संदीप कुमार गांव फिदेड़ी, जिला रेवाड़ी और इसके अलावा जो नाम लिये गये हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जम्मू के रघुनाथ मन्दिर एवं राजीव नगर कालोनी, सैनिक परिसर कालूचक्क, राजौरी ज़िले के थाना मण्डी क्षेत्र के गांव दुदसांबाला तथा राज्य के अन्य स्थानों में एवं पहलगाम के नजदीक अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूँ और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सांसद चौधरी राम चन्द्र बैंदा जी के भाई चौधरी प्रताप सिंह बैंदा, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के ससुर चौधरी राम चन्द्र मटोरिया और उनकी सास श्रीमती जय कौरी देवी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भगवान सहाय रावत की धर्मपत्नी के छोटे भाई डॉ० कुमेर सिंह के दु:खद निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

चौ० बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री कृष्ण कांत जो हमारे हिन्दुस्तान के वाइस प्रेजीडैन्ट थे वह 1927 में पैदा हुए। वह एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता

श्री लाला अचिन्त राम ने भी जेल काटी। 1942 में लाला अचिन्त राम जी को, कृष्ण कांत की माता जी को एवं खुद कृष्ण कांत जी और उनकी धर्म पत्नी इन चारों को फ्रीडम मूवमैन्ट में एक ही साथ लाहौर में गिरफ्तार किया गया था। जैसे अभी लीडर ऑफ दी अपोजीशन श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कृष्ण कांत जी जो कपड़ा पहनते थे वह या तो वे खुद कातते थे या उनकी माता श्री कातती थीं। उनकी माता श्री 97-98 साल की हो गयी हैं लेकिन आज भी वह एक्टिव हैं और उनकी यादाश्त इतनी तेज है कि बीस साल के जवान की भी यादाश्त इतनी तेज नहीं हो सकती। अभी भी बहुत तेज उनकी मैमोरी है। कृष्ण कांत जी राज्य सभा के मैम्बर भी रहे। मुझे भी उनके साथ राज्य सभा का मैम्बर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद जब वे चण्डीगढ़ से चुनकर लोकसभा में चले गए तो मैं फिर भी राज्य सभा का मैम्बर रहा। वे आन्ध्रप्रदेश के राज्य पाल भी रहे। वे राज्य सभा के चेयरमैन और वाइस प्रेजीडैन्ट, हिन्दुस्तान भी रहे। अध्यक्ष महोदय, वे एक बहुत ही सात्विक और शुद्ध किस्म के इंसान थे। वे बहुत ही भले थे। वे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे। हर मसले का कोई न कोई हल निकालने की उनकी कोशिश रहती थी। इस तरह से उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अब एक एक करके फ्रीडम फाईटर्ज की पीढ़ी जाती जा रही है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सदन के साथ शामिल हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री बी०डी० जत्ती भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी कृष्ण कांत जी की तरह ही इंडिया क्विट मूवमैन्ट में जेल काटी। वे मैसूर स्टेट के भी मुख्यमंत्री रहे। वे फिर उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। इसके बाद फिर वे वाइस प्रेजीडैन्ट, हिन्दुस्तान और चेयरमैन, राज्य सभा भी रहे। अध्यक्ष महोदय, जब वे चेयरमैन, राज्य सभा थे तब उनके साथ भी मुझे राज्य सभा का मैम्बर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे कृष्ण कांत और बी०डी० जत्ती से बहुत अच्छे व्यक्तिगत तालुकात रहे। उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। श्री फतेह चन्द विज भी हमारे साथ इसी सदन के मैम्बर रहे। वे जनसंघ के मैम्बर रहे। वे बहुत ही अच्छे और लायक आदमी थे। राव अभय सिंह भी इसी सदन के मैम्बर रहे। वे एक बहुत ही नेक किस्म के इन्सान थे। श्री खिल्लन सिंह, श्री मनसा राम, कामरेड जगीर सिंह जोगा, श्री दरबारी लाल गुप्ता, श्री जिले सिंह मलिक और राव हरी सिंह इन सबके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं इसका भी समर्थन करता हूं और जो फ्रीडम फाइटर बाकी हैं वे बहुत कम रह गए हैं। कैप्टन दिलीप सिंह गांव मिलाथल जिला भिवानी, श्री प्रेम स्वरूप माडल टाउन रेवाड़ी, श्री बिशना राम गांव चाहरयाला जिला सिरसा, श्री ईशरी सहाय, गांव गढ़ी बोलनी जिला रेवाड़ी, श्री डेविड अब्बेनजर, ऐलनाबाद जिला सिरसा, श्री भागमल, गांव नखड़ौला, जिला गुड़गांव, श्री शाहमल, गांव लाखूवास, जिला गुड़गांव, श्री रघुबीर सिंह गांव रामपुर जिला गुड़गांव, श्री कांसी राम गांव तुर्कापुर, जिला गुड़गांव, चौधरी राम सिंह गांव कोट, जिला भिवानी, श्री हरी सिंह गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री शेर सिंह गांव करोड़ा, जिला कैथल, श्री मांगे राम सिंगला, महादेव कालोनी, कैथल इनके परिवार जनों के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं। आतंकवादियों से लड़ते हुए जो हमारे जवान शहीद हुए उनमें असिसटैंट कमांडैंट नरेश यादव, गांव नंदरामपुरवास, जिला रेवाड़ी, सहायक कमांडैंट सुमेर सिंह, मेजर योगेश गुप्ता, कैप्टन अतुल सोमरा, लैफ्टिनैंट अरविंद मलिक, स्कवाड्रन लीडर संजय भारद्वाज, फ्लाइंग ऑफिसर संदीप पल्लरवाल, हवलदार रूपचंद, हवलदार कृष्ण कुमार, नायक ओम प्रकाश, लांस नायक जसवंत सिंह, लांस नायक राधेश्याम, लांस नायक विजेन्द्र सिंह, लांस नायक नरेन्द्र सिंह,

[चौ० बंसी लाल]

राईफलमैन ओमबीर, राईफलमैन सुभाष चन्द्र, ब्रेगेडियर रमेश चन्द्र, सिपाही महेश कुमार, सिपाही घनश्याम, सिपाही भीम सिंह, सिपाही रमेश कुमार, सिपाही मदन लाल, सिपाही राजबीर, सिपाही हरकेश कुमार, सिपाही भूपेन्द्र दहिया, सिपाही मंगत राम, सिपाही पिंकू सिंह, सिपाही सुरेश कुमार, सिपाही रामफल यादव, सिपाही धर्मपाल, सिपाही राममेहर, सिपाही राधेश्याम, सिपाही भीम सिंह, सिपाही अली अहमद, सिपाही संदीप कुमार और इसके अलावा जो नाम लिये गये हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं।

जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके अलावा सांसद चौधरी राम चन्द्र बैंदा के भाई चौधरी प्रताप सिंह बैंदा, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के ससुर चौधरी राम बक्श मटौरिया और उनकी सास श्रीमती जयकोरी देवी तथा डॉ० कुमेर सिंह के दु:खद निधन पर उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन के बाद हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गई हैं। सबसे पहले मैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे उत्तरी भारत के प्रमुख समाज सेवी थे और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे 1997 में केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ से सांसद भी रहे। आपातकाल के दौरान वे चन्द नेताओं में से एक थे जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई।

श्री बी०डी० जत्ती, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के दु:खद निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। वे अपने समय के एक प्रमुख समाज सेवी थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। कुछ समय के लिए इन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया।

श्री फतेहचन्द विज इस हाउस के प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक थे जो कई बार पानीपत विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आये। 80-85 साल की उम्र में भी वे स्कूटर पर चलते थे और गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। राव अभय सिंह, श्री खिल्लन सिंह और मन्साराम जी, जिले सिंह मलिक व हरी सिंह यादव भी हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं। ये सभी भूतपूर्व सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी रहे हैं। इनके निधन से प्रदेश अच्छे समाज सेवियों की सेवाओं से वंचित हो गया है और इनके निधन पर भी मुझे गहरा शोक है।

कामरेड जगीर सिंह जोगा के निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। ये संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। श्री दरबारी लाल गुप्ता, संयुक्त पंजाब विधान सभा परिषद के भूतपूर्व सदस्य थे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता की काफी सेवा की, उनके निधन पर भी मुझे गहरा शोक है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों के हुए दु:खद निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। कोई भी देश स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को भूल नहीं सकता क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें

आजादी मिली थी। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का यही एक तरीका है कि हम देश की सेवा पूरे तन मन से करें। इन सभी के निधन से देश सच्चे देश भक्तों और स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं से वंचित हो गया है।

इनके अतिरिक्त हरियाणा के शहीदों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो नाम लिये हैं उनके बलिदान के ऊपर मुझे गहरा शोक है। ऐसे वीर शहीदों के बलिदान से देश की अखण्डता बनी हुई है और हरियाणा के वीर किसी भी तरीके से दूसरे प्रदेशों के वीरों से कम नहीं है।

इनके अतिरिक्त हरियाणा से संसद सदस्य चौधरी रामचन्द्र बैंदा के भाई चौधरी प्रताप सिंह बैंदा, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह के ससुर चौधरी रामचन्द्र मटौरिया और सास श्रीमती जय कोरी देवी तथा श्री भगवान सहाय रावत के साले डाक्टर कुमेर सिंह के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसके अलावा मैं कृषि मंत्री श्री जसविन्द्र सिंह संधू के मौसा श्री गुलजार सिंह के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अंत में मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक-संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी।

अब मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सभी उपस्थित माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिन्ट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Removal of Electricity Wire Passing over Houses

***1132. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that 11KV electricity wire is passing over the roofs of the Houses of Shahajadpur village in district Sonepat ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to remove the aforesaid wires ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हां श्रीमान, ज़िला सोनीपत में गांव शाहजादपुर के लगभग 6 मकानों की छतों के ऊपर से 11 के०वी० बिजली की लाइन गुजर रही है।

[श्री राम पाल माजरा]

(ख) यह लाइन वर्ष 1970 के दौरान बिछाई गई थी तथा मकानों का निर्माण 1983 के आस-पास हुआ था। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 82 के अनुसार ऐसी लाईनों के स्थान परिवर्तन या शिफ्टिंग का काम मकान मालिकों की लागत पर किया जाना है। यह कार्य लाभान्वितों द्वारा लागत की धन राशि जमा कराने पर एक मास के अन्दर पूर्ण हो जाएगा।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ठीक है कि मकान बाद में बने लेकिन यह पंडितों का गांव है और वहां गरीब पंडित और किसान रहते हैं इसलिए वे पैसा नहीं खर्च कर सकते और किसी भी वक्त वहां हादसा हो सकता है। उनके घरों की छतों के साथ लगती तारें जा रही हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कानून को बदलते हुए वहां की तारें बदली जाएं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को ही नहीं बल्कि पूरे सदन को इस बात से अवगत करवाना चाहूंगा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार का एक निर्णय है कि जहां कहीं किसी के मकान के ऊपर से, सार्वजनिक स्थान के ऊपर से, रोडज के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से या जहां कहीं से भी कोई बिजली की तार जाती है और अगर वह गांव की लाइन है तो वहां ऐंगल लगाकर या खम्बा दूसरी जगह लगाकर उन तारों को बदला जाए, ये निर्देश दिए जा चुके हैं लेकिन जहां कहीं भी बड़ी लाइनें हैं यानि 11 के०वी०, 33 के०वी० या 66 के०वी० की लाइनें हैं या इससे भी बड़ी लाइनें हैं तो वे लाइनें बदलना कतई सम्भव नहीं है। विशेष रूप से इस प्रकार की लाइनें खुली जगह में से जाती हैं, मकानात बाद में बनाए जाते हैं इसलिए इन लाइनों को बदलना असम्भव है।

Creating of Social Awareness

***1061. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government have received any communication from the Central Government intimating the raising of issue in the World Development Report for creating social awareness involving NGOs, better low cost education and joining of more women work force by phasing out Child Labour in the country ; if so, the steps so far taken or proposed to be taken by the Government in this regard ?

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, इस सवाल के बारे में मंत्री जी से रिक्वैस्ट आई है कि उन्हें इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए तो उन्हें परमिशन ग्रांट कर दी गई है। मंत्री जी की तरफ से जो लैटर आया है वह इस प्रकार है :-

"Interim Reply

"From

Ram Pal Majra,
Chief Parliamentary Secretary,
Haryana.

To

Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

No. 43238

Dated Chandigarh, the 1-9-2002.

Subject : **Vidhan Sabha Starred Question No. 1061.**

Sir,

With reference to Haryana Vidhan Sabha Starred Question No. 1061 regarding receiving of any communication from the Central Government intimating the raising of a issue in the World Development Report for creating social awareness involving NGOs, better low cost education and joining of more women work force by phasing out Child Labour in the country.

2. This question invloves coordination with various departments and also requires study of the World Development Report. No communication has been received from the Central Government. A copy of the World Development Report is being procured from the Government of India. The reply of this question would be furnished only after studying the World Development Report. You are requested to kindly defer this question and allow us some more time to reply this question.

Yours faithfully,

Sd/-
(RAM PAL MAJRA)
Chief Parliamentary Secretary
Haryana."

Setting up of Power Sub-station, Fatehabad

***1076. Shri Lila Krishan :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which 220 KV Sub-station of Fatehabad village and 33 KV Sub-Station, Daryapur village are likely to start functioning for which the foundation stone was already laid down on 30th January, 2001 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : फतेहाबाद में इस समय एक 220 के०वी० उपकेन्द्र सम्बन्धित प्रसार लाइन सहित 27.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन है। यह उपकेन्द्र नवम्बर 2002 तक चालू होना सम्भावित है। इस उपकेन्द्र के पूर्ण होने से फतेहाबाद तथा हिसार जिलों के 200 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे।

दरियापुर में एक 33 के०वी० उपकेन्द्र सम्बद्ध लाइन सहित 1.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिये नींव पत्थर दिनांक 11-10-2001 को रखा गया था। यह उपकेन्द्र मार्च 2003 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

चौ० लीला कृष्ण : स्पीकर सर, फतेहाबाद बहुत बड़ा इलाका है। वहां पर इस वक्त 15.00 बजे 132 के०वी० का सब-स्टेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए 200 के०वी० के सब-स्टेशन बनाने का पत्थर रखा है। यह एक सौभाग्य की बात है कि पी०यू०सी० ने भी इसे देखा है कि जो काम वहां चल रहा है वह धीमी गति से चल रहा है। मंत्री जी पहले कहते थे कि जुलाई तक वहां पर 200 के०वी० का सब-स्टेशन काम करना शुरु कर देगा और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि नवम्बर तक चालू हो जायेगा और मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ काम करने पर ही नवम्बर तक फतेहाबाद में 220 के०वी० का सब-स्टेशन चालू होगा। बरसात की कमी के कारण नहरों में पानी की कमी है वहां पर जल्दी ही 220 के०वी० का सब-स्टेशन चालू किया जाये ताकि किसान सिंचाई कर सकें और दिसम्बर तक सब-स्टेशन का उद्घाटन हो सके। स्पीकर सर, दूसरा मैं दरियापुर के बारे में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर नौ गांवों को भी फतेहाबाद के 132 के०वी० के सब-स्टेशन से बिजली दी जाती है और बिजली की धीमी आपूर्ति होने के कारण वहां पर बार-बार ट्रिपिंग हो जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दरियापुर में भी 33 के०वी० के सब-स्टेशन का काम शुरु नहीं हुआ है इसलिए यह काम भी वार लेवल पर शुरु करके इसे जल्दी ही चालू किया जाये।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने माना है कि फतेहाबाद में सब-स्टेशन का कार्य चालू है और जहां तक सिविल कार्य की बात है इस बारे मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सिविल कार्य भी प्रागति पर है। स्विच हाउस बिल्डिंग का कार्य 82 प्रतिशत हो गया है, उपकेन्द्र टावर नींव और उपकरण नींव का कार्य 100 प्रतिशत हो गया है, केबल ट्रैंचिज का 90 प्रतिशत कार्य हो गया है, फुटकर सिविल का 70 प्रतिशत कार्य हो गया है। इसी के साथ विद्युत कार्य के बारे में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अर्थिंग का काम 60 प्रतिशत हो चुका है। टावर और बीम के इरेक्शन का 100 प्रतिशत और स्ट्रकचर का 98 प्रतिशत कार्य हो चुका है। ओ०डी०एस०जी० का 99 प्रतिशत तथा आई०डी०एस०डी० का 47 प्रतिशत काम हो चुका है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह है कि जो समय माननीय साथी को बताया गया है उसी समय में सब-स्टेशन का कार्य पूरा हो जाये उसी हिसाब से पूरी गति से हम कार्य कर रहे हैं और निर्धारित समय पर यह सब-स्टेशन कार्य करना शुरु कर देगा तथा इससे 200 से भी अधिक गांव लाभांवित होंगे। स्पीकर सर, दूसरा 33 के०वी० का सब-स्टेशन दरियापुर में लगने से दौलतपुर, दरियापुर, हजराकलां, हजराखुर्द, धानीइसर, हरिपुरा और अलीसदर आदि गांवों को लाभ होगा और इससे 10 प्रतिशत वोल्टेज क्षमता में भी अधिक सुधार होगा। स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह सब-स्टेशन भी जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर कार्य करना शुरु कर देगा।

District Central Cooperative Bank

***1114. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the total number of District Central Coop. Banks in the State at present together with the district-wise branches thereof ; and

(b) the bank-wise number of guards provided in the banks referred to in part (a) above as on 30-6-2002 ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) :

(क) राज्य में इस समय 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं तथा उनकी जिलावार शाखाएं नीचे दर्शाई गई हैं :-

क्रम सं०	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	30-6-2002 तक शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	15
2.	भिवानी	25
3.	फरीदाबाद	23
4.	फतेहाबाद	15
5.	गुड़गांव	16
6.	हिसार	25
7.	झज्जर	17
8.	जींद	22
9.	करनाल	24
10.	कैथल	22
11.	कुरुक्षेत्र	19
12.	महेन्द्रगढ़	12
13.	पंचकूला	08
14.	पानीपत	13
15.	रेवाड़ी	15
16.	रोहतक	14
17.	सिरसा	28
18.	सोनीपत	19
19.	यमुनानगर	16
	कुल योग	348

[श्री करतार सिंह भड़ाना]

(ख) ऊपर के भाग 'क' में निर्दिष्ट बैंकों में 30-6-2002 को दिए गए गार्डों की बैंकवार संख्या निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	30-6-2002 तक गार्डों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	04
2.	भिवानी	18
3.	फरीदाबाद	15
4.	फतेहाबाद	12
5.	गुड़गांव	15
6.	हिसार	26
7.	झज्जर	11
8.	जींद	13
9.	करनाल	16
10.	कैथल	12
11.	कुरुक्षेत्र	11
12.	महेन्द्रगढ़	04
13.	पंचकूला	01
14.	पानीपत	07
15.	रेवाड़ी	18
16.	रोहतक	07
17.	सिरसा	11
18.	सोनीपत	11
19.	यमुनानगर	07
	कुल योग	219

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आजकल बैंकों को लूटने की वारदात हो रही हैं, जिस कारण बैंकों में रखा गया कैश सुरक्षित नहीं रह पा रहा। जवाब में बताया गया है कि 348 ब्रांचें को-आप्रेटिव बैंक की हैं और इनमें 129 गार्डों की स्ट्रेन्थ कम बतायी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ताकि बैंक सुरक्षित हो सकें और लोगों का पैसा भी सुरक्षित रह सके।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सम्मानित सदस्य को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार की वारदातों के दृष्टिगत सरकार विचार कर रही है कि को-आप्रेटिव बैंकों में जो गार्ड रखे जाएं वे बाकायदा उसी तरह से रखे जाएं जिस प्रकार से पुलिस के गार्ड भर्ती किए जाते हैं, यानि उसी तरीके से इन गार्डों की भर्ती की जाये और उनको वही अख्तियार दिए जाएं जैसे पुलिस के गार्डों को दिए जाते हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि इन बैंकों में जितने गार्डों की कमी होगी उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने ही गार्ड भर्ती किए जाएंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियां हैं जिनका लोन का क्राईटेरिया एक्सैस हो चुका है क्या उनके स्थान पर बैंक की ब्रांच खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सहकारी समितियों की जो ब्रांच खोली जाती है, उसको खोलने का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री करतार सिंह भडाना : स्पीकर साहब, इसके लिए ये अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा।

Payment of Wheat and Paddy etc.

***1085. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state---

(a) the quantity of wheat, paddy and mustard seeds procured by the HAFED during the year 1999-2000 to 2001-2002, year-wise separately ; and

(b) whether the payment of the entire amount has been made to the farmers from whom the aforesaid crops have been procured ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) हैफ़ेड द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक अधिप्राप्त की गई गेहूँ, धान एवं सरसों के बीजों की मात्रा का पृथक-पृथक वर्षवार ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है (अनुबन्ध-अ)।

(ख) हाँ, श्रीमान जी।

[श्री करतार सिंह भडाना]

अनुबन्ध-अ

हैफ़ेड द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की गई गेहूँ, धान एवं सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति का ब्यौरा :-

(1) गेहूँ :

(मात्रा मी० टनों में)

वर्ष	हैफ़ेड द्वारा खरीदी गई मात्रा
1999-2000	1411027
2000-2001	1931577
2001-2002	2728860

(2) धान :

वर्ष	हैफ़ेड द्वारा खरीदी गई मात्रा
1999-2000	140980
2000-2001	598621
2001-2002	571269

(3) सरसों के बीज :

वर्ष	हैफ़ेड द्वारा खरीदी गई मात्रा
1999-2000	2603
2000-2001	30443
2001-2002	36034

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी सदन के पटल पर रखी है उसमें गेहूं, पैडी और मस्टर्ड सीड की खरीददारी जो दर्शाई है, उसके हिसाब से 1999-2000 में गेहूं की 14 लाख 11 हजार 27 मीट्रिक टन, 2000-2001 में 19 लाख 31 हजार 577 मीट्रिक टन तथा 2001-2002 में 27 लाख 28 हजार 860 मीट्रिक टन की खरीददारी की गई है। इसी तरह से पैडी की खरीद और सरसों के बीज की खरीद भी जवाब में दिखाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि ये जो इतने मीट्रिक टन गेहूं और पैडी की खरीद की गई है इसमें से हरियाणा के किसानों की कितनी मीट्रिक टन फसल है और प्रदेश से बाहर के किसानों की कितनी मीट्रिक टन फसल है।

श्री करतार सिंह भडाना : स्पीकर साहब, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि जो पैडी हमारी मौजूदा सरकार ने खरीदी है उतनी पैडी की खरीद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की। हमने यह नहीं देखा कि किसान हमारे हैं या दूसरे राज्य के हैं। हमने तो यही देखा है कि इससे किसान का भला हो और जितनी पैडी आती है उसकी खरीद की जाये। हमने अपने किसानों की तो पैडी खरीदी ही साथ ही प्रदेश के बाहर के किसानों की भी पैडी खरीदी है। मेरा फिर कहना है कि हमने इतनी अधिक किसानों की फसल खरीदी है जितनी आज तक सभी सरकारों ने मिलकर नहीं खरीदी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1086

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री दीनाराम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Shortage of Teachers in Primary Schools

***1071. Amar Singh Dhanday :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether it is a fact that there is great shortage of teachers in Primary Schools in the State particularly in rural areas, if so, the steps taken or proposed to be taken to provide teachers in the said Schools ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी। राज्य भर में जे०बी०टी० अध्यापकों की कमी नहीं है।

श्री अमर सिंह ढांडे : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार बनने के बाद जे०बी०टी० अध्यापकों की काफी भर्ती हुई है लेकिन फिर भी कई जिलों में अध्यापक फालतू हैं और कई जिलों में अध्यापकों की काफी कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अध्यापकों की ऐडजस्टमैंट कब तक कर दी जाएगी ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि कई जिलों में अध्यापक सरप्लस हैं जिनकी ऐडजस्टमैंट करनी है। सरप्लस अध्यापकों की संख्या 3126 है। सरप्लस टीचर्ज की संख्या जिलावार भी मैं बता देता हूं। अम्बाला में 102, भिवानी में 289, फतेहाबाद में 111, हिसार में 120, झज्जर में 141, जीन्द में 231, नारनौल में 121, पंचकूला में 60, रिवाड़ी में 301, रोहतक में 553, सिरसा में 57 तथा सोनीपत में 540 टीचर्ज सरप्लस हैं। सात जिलों में टीचर्ज की संख्या कम है उनके जिलावार आंकड़े भी मैं हाउस को बता देता हूं। जिला फरीदाबाद में 104, गुड़गांव में 584 टीचर्ज की कमी है, कैथल में 305, करनाल में 262, कुरुक्षेत्र में 99, पानीपत में 42 तथा यमुनानगर में 190 टीचर्ज की कमी है। इस तरीके से हमारे पास 3126 टीचर्ज सरप्लस हैं और 1633 टीचर्ज की कमी है इनको हम आपस में ऐडजस्ट कर रहे हैं। जहां पर टीचर्ज सरप्लस हैं वहां के टीचर्ज जहां उनकी कमी है वहां पर भेजे जा रहे हैं। इसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं और जल्दी ही इसको फाईनेलाईज करके इनकी ऐडजस्टमैंट कर दी जाएगी।

प्रो० राम भगत : स्पीकर सर, जहां तक मुझे मालूम है यह जो अध्यापकों की कमी पूरी की जा रही वह रैशनेलाईजेशन के तहत पूरी की जा रही है। इसमें नये क्राईटेरिया में अध्यापक और विद्यार्थियों का जो रेशो बढ़ाया गया है वह 40 से 60 कर दिया गया है। पहले एक अध्यापक और 40 स्टुडैंट का रेशो था लेकिन इसे अब 1 : 60 कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं तथा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह फैसला छात्रों के हित में है ? जो छोटी क्लासिज हैं उनमें टीचर्ज को पर्सनली बच्चों को अटैंड करना पड़ता है इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में वे कोई सकारात्मक विचार करेंगे ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जो एक-साठ का अनुपात बता रहे हैं यह हमारे यहां नहीं हैं इन्होंने पता नहीं कहां से सुना है। हमारे यहां प्राईमरी शिक्षा में अध्यापक छात्र का अनुपात 1 : 40 है जो कि नैशनल लैवल पर करते हैं। हमारे एजुकेशन बोर्ड के अन्दर 50 छात्रों पर एक अध्यापक है और जहां पर इससे ज्यादा छात्र हो जाते हैं वहां पर दो टीचर्ज दे देते हैं जैसे कि माननीय सदस्य बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो रैशनेलाईजेशन किया गया है यह ठीक किया गया है। जैसा कि ये बता रहे हैं हमारे यहां 60 छात्रों पर एक टीचर वाली कोई बात नहीं है और अगर होगी तो इसे देख लेंगे।

आई० जी० (रिटायर्ड) श्री शेर सिंह : स्पीकर सर, प्रोफैसर राम भगत जी ने जो सप्लीमैंट्री पूछा है उसी से सम्बन्धित मेरा सवाल भी इसी क्वैश्चन से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टीचर्ज सरप्लस होंगे उनको किस तरीके से ऐडजस्ट किया जाएगा तथा क्या किसी टीचर को निकाला तो नहीं जाएगा ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी टीचर को निकालने की हमारी कोई स्कीम नहीं है। जो अध्यापक सरप्लस हैं उनसे हम कन्सैंट लेंगे और उनको यह अवसर देंगे कि वे यह बताएं कि वे किस जिले में जाना चाहेंगे उसके बाद उनको ऐडजस्ट किया जाएगा।

Water Allowances

***1096. Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any difference in water allowance of Bhakra and Yamuna system of Irrigation in the state ; and

(b) the details of the water allowances of different Canals and minors flowing in the state ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) यमुना व भाखड़ा कमान के अन्तर्गत ज्यादातर नहरों व रजबाहों की जल मात्रा 2.4 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ है। यद्यपि यमुना व भाखड़ा दोनों कमानों की कुछ नहरों की जल मात्रा भिन्न है, विवरण परिशिष्ट में दी गई विवरणी अनुसार है।

विवरणी

यमुना प्रणाली/जवाहर लाल नेहरू, रोहतक की नहरों की सूची

जल मात्रा - 2.4 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ से भिन्न

1. यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल

क्रमांक	प्रणाली एवं नहर का नाम	जल मात्रा क्यूसिक प्रति हजार एकड़
1	2	3
1.	एन०बी०के० लिंक के कट आफ चैनल (खरीफ चैनल)	5.0
2.	चौतंग फीडर प्रणाली-नान पेरीनियल	10.0

1	2	3
3.	गोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	2.57
4.	इसराना डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	2.57
5.	हुलाना डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	2.57
6.	नारायणा डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	2.57
7.	जैधरी डिस्ट्रीब्यूटरी	7.50
8.	1-एल माइनर	12.0
9.	2-एल माइनर	12.0
10.	डिच चैनल	14.0
11.	1-आर माइनर	14.0
12.	2-आर माइनर	14.0
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द		
1.	जोशी डिस्ट्रीब्यूटरी	2.86
2.	मुआना डिस्ट्रीब्यूटरी	2.86
3.	गुना माइनर	2.57
4.	बरौदा माइनर, गगेसर माइनर, बुटाना ब्रान्च	3.85
5.	बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी	3.01
भाखड़ा प्रणाली		
		रबी/खरीफ
1.	सरस्वति फीडर से निकलने वाली सरस्वति डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	1.95/3.00
2.	नरवाना ब्रान्च से निकलने वाली मारकण्डा डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	1.95/3.00
3.	हांसी प्रणाली की टेल से निकलने वाले चैनल	
	1. पेटवाड डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली	2.5
	2. 1-आर रिकलेमेशन माइनर	3.75
	3. हिसार मेन डिस्ट्रीब्यूटरी	4.29
	4. मसुदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	2.50
	5. नारनौंद डिस्ट्रीब्यूटरी	3.75
	6. मोठ माइनर	3.75
	7. सिसाई माइनर	4.29
	8. भाटला माइनर	4.29

[श्री राम पाल माजरा]

1	2	3
	9. चनौट सब माइनर	4.29
	10. बीड माइनर	4.29
	11. हांसी सब माइनर	4.29
	12. गनसाला माइनर	4.29
4.	डाउन स्ट्रीम ओटू वीयर प्रणाली-पार्टली फीडिंग उठान प्रणाली 4.5/3.5	2.40/10
जवाहर लाल नेहरू मण्डल, रोहतक		
1.	पाटूवास डिस्ट्रीब्यूटरी	4.00
2.	निमली माइनर	4.00
3.	सिलांगा माइनर	4.00
4.	मालिथावास सब माइनर	4.00
5.	डीलनवास सब माइनर	4.00
6.	अमोली डिस्ट्रीब्यूटरी	4.00

डा० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कुछ बताएं नहीं आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी ही पूछ रहा हूं लेकिन पहले आप अपनी रूलिंग दें कि क्या बैठे बैठे कमैंटरी चल सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न करें। ये आपकी आवाज के बारे में कह रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, जवाब में कुछ माइनर्ज और चैनल्ज के वाटर आलाउंसिज के बारे में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि यमुना व भाखड़ा कमाण्ड के अन्तर्गत ज्यादातर नहरों व रजबाहों की जल मात्रा 2.4 हजार क्यूसिक पर थाउजैन्ड एकड़ हैं। उसके अलवा जिन चैनल्ज के बारे में दिया है उसमें ऐसा लग रहा है कि भाखड़ा कैनाल में वाटर अलाउंस ज्यादा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 3.5 मीलियन एकड़ फीट पानी जो रावी ब्यास का था उसमें से 18 लाख एकड़ फीट जो हरियाणा में पानी एग्जिसिटिंग सिस्टम के तहत लाया गया था वह पानी भाखड़ा सिस्टम में सिरसा, हिसार में चल रहा है या दक्षिणी हरियाणा में चल रहा है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, वैसे तो जो इन्होंने प्रश्न रेज किया है इसका तारांकित प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। इन्होंने वाटर अलाउंस के बारे में पूछा है और फिर इन्होंने शंका जाहिर की कि भाखड़ा में ज्यादा वाटर अलाउंसिज है, पर ऐसा नहीं है। स्पीकर सर, जिन नहरों व रजबाहों के वाटर अलाउंसिज कम या ज्यादा हैं वे तो इनको बता दिए गए हैं। लेकिन जिन नहरों

व रजबाहों के वाटर अलाउंसिज 2.4 हजार क्युसिक पर-थाउजैंड एकड़ हैं वे इनको शायद नहीं बताए गए हैं। अगर ये कहेंगे तो मैं बता दूंगा यह बहुत ही लम्बी लिस्ट है। इसके अलावा मैं इनको बताउं कि यह हरियाणा कैनाल और ड्रेनेज एक्ट 1974 के तहत निर्धारित किया गया है। उसके बारे में इनको इस बात का खूब पता है कि भाखड़ा के जरिए ही पानी हम पंजाब से ले सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। उसको ला करके ही कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में पानी लाया जा सकेगा। जो भी हो सकता है उसमें से हमने नरवाना ब्रांच में लेकर यमुना के साथ जोड़ दिया है और इस तरीके से स्पीकर सर, हमने पानी का एक कामन पूल बनाया है। इसी के साथ सिवानी सिस्टम को वहीं से पानी पहली बार फरवरी 2002 से नए सिरे से दिया गया। मेरे साथी ने जो शंकाएं जाहिर की हैं वह निर्मूल हैं वे सही नहीं हैं।

डा० रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, एस्टीमेट कमेटी की 25वीं रिपोर्ट है इसमें लिखा है कि .....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, रिपोर्ट तो है लेकिन आप प्रश्न पूछें। यह सब चीजें कागजों में लिखी हुई हैं। आप अपना प्रश्न पूछें।

डा० रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, इसमें डिपार्टमैंट ने एस्टीमेटस कमेटी को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह है कि कुछ पानी जो साउदरन हरियाणा का है वह सिरसा, हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ डाइवरट कर दिया गया है। यह वाटर अलाउंस है यह पानी से ही सम्बन्धित है कि कितना पानी किस लिंक चैनल में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। कोई भी डाईवरसीफिकेशन नहीं है। साउथ हरियाणा कौन सा है, नार्थ हरियाणा कौन सा है। ऐसा कुछ नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें। नार्थ साउथ से कुछ पता नहीं लगता है यह बंटा हुआ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आप अपना प्रश्न पूछें।

डा० रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाईज बता देता हूं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद ये आठ जिले हैं जिनको रावी ब्यास का जो पानी एलोकेट हुआ है वह पानी अब हिसार और सिरसा जिलों को जा रहा है। एस्टीमेटस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमैंडेशन दी है कि हिसार और सिरसा जिलों को रावी ब्यास का जो पानी जा रहा है उसमें इन आठ जिलों के हिस्से का पानी भी जा रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन आठ जिलों को रावी ब्यास के पानी का जो हिस्सा है क्या वह उनको मिलेगा या नहीं। जिस एरिया में ज्यादा पानी जाएगा उस एरिया का वाटर अलाउंस बढ़ेगा और जिस एरिया में पानी कम जाएगा उसका वाटर अलाउंस घटेगा। चूंकि यह सवाल वाटर अलाउंस से संबंधित है इसलिए उन आठ जिलों के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि भाखड़ा की कोई डाईवरसीफिकेशन नहीं है कोई पानी डाईवर्ट नहीं हुआ है। जिस रिपोर्ट को आप आधार मानकर पढ़ रहे हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले तो आपको छोड़कर चौधरी भजन लाल के साथ आ लिए हैं। अब आप रिपोर्ट के चक्र में क्यों पड़ रहे हो। वह तो आ लिए, इसके साथ आ लिए हैं। इस चक्र में क्यों पड़ रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) वह रिपोर्ट भी खत्म हुई और रिपोर्ट देने वाला भी इधर आ लिया धारा तो मामला ही चौपट हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए कादयान जी। उदय भान जी आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : यह तो डैमोक्रेसी है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अब तो वह रिपोर्ट ही खत्म हो गयी है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने जवाब में बताया है कि यमुना सिंचाई प्रणाली के जल की मात्रा में कोई कमी नहीं आयी है। 12 मई, 1994 को माननीय चौधरी भजन लाल जी द्वारा हरियाणा प्रदेश के हितों के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता यमुना जल के बारे में हुआ था। जिसके बाद यमुना के पानी में कमी आ गयी थी। मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूंगा कि 12 मई, 1994 को हुए इस समझौते के पहले हरियाणा को कितना पानी मिलता था और इस समझौते के बाद अब कितना पानी मिल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, इस समझौते से हरियाणा का बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। फरीदाबाद जिले की सिंचाई आगरा कैनाल से होती है। मंत्री जी बताएं कि इस समझौते के बाद से यमुना के पानी में कितनी कमी आयी है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी की शंका सही है। ये तो नाश करके ही गए थे। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यमुना में पानी की मात्रा रेन फॉल पर डिपैंड करती है। यमुना का पानी आज के दिन और इस पूरे महीने ठीक रहा। लेकिन माननीय साथी ने जो यमुना जल समझौते की बात की है तो मैं इनसे कहूंगा कि ये इस बारे में एक अलग से नोटिस दे दें उस पर दोबारा से किसी समय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मुख्य संसदीय सचिव ने जवाब देते हुए कहा है कि वाटर अलाउंसिज लगभग एक जैसे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि नरवाना से डबवाली तक कई नहरें ऐसी हैं जिनमें एक दिन भी पानी कम नहीं होता यानी पूरे साल उनमें पानी चलता रहता है जबकि हमारे यहां पर कई नहरें ऐसी हैं जिनमें टेल तक पानी पहुंचता ही नहीं है। एक तरफ तो यह बराबर वाटर अलाउंसिज की बात कहते हैं जबकि दूसरी तरफ पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव हो रहा है। माजरा साहब बताएं कि टोटल हरियाणा प्रदेश का जो इलाका है उसमें से 32 लाख एकड़ जमीन को लगभग सारा हजार क्यूसिक पानी मिलता है जबकि 63 लाख एकड़ जमीन को केवल पांच हजार क्यूसिक पानी ही क्यों मिल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, ये फिर भी कह रहे हैं कि प्रदेश में वाटर अलाउंसिज बराबर हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो वाटर अलाउंसिज की बात हो रही है जबकि ये पानी के रोटेशन की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यू०जे०सी० साल में 180 दिन चलती है। इसके अलावा भाखड़ा चैनल के सिंचित एरिया को भी साल में 180 दिन ही पानी मिलता है। केवल एक दो नहरें ऐसी हैं जिनके पानी में कमी नहीं ला सकते। ये नहरें ही 240 दिन के लिए चलती हैं अदरवाइज सारा सिस्टम बराबर है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर तो पानी ले जाने के लिए कोई कैरियर नहीं है, कोई चैनल नहीं है। अगर एक दो नहरों में इतने दिन पानी नहीं चलाएंगे तो वह पानी पंजाब में ही रह जाएगा इसलिए पंजाब में पानी रहने देने से तो अच्छा है कि इस तरह की एक दो नहरों में पानी 240 दिन चलाया जाया जाना चाहिए। इसके अलावा यमुना का या भाखड़ा चैनल का जो रोटेशन का पानी है या जो वाटर अलाउंसिज हैं वह सब बराबर हैं। जिन रजवाहों में पानी कम है उनको जो डिसचार्ज करके पानी दिया गया है वह भी वहां की धरती को देखकर, एटमोसफियर को देखकर और एनवायरमैन्ट को देखकर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह पानी उनको 1974 के हरियाणा कैनाल और ड्रेनेज एक्ट के तहत दिया गया है।

Controlling of Pollution of M.C., Faridabad

***1146. Sbri Rajender Singh Bisla :** Will the Chief Minsiter be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government, to control the pollution of the area of Municipal Corporation of Faridabad on the pattern of Delhi Administration in the light of the orders of the High Court/Supreme Court ; if so, the steps so far taken in this regard ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : जी हां, श्रीमान। याचिका नं० 13029 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5-4-2002 को पारित आदेशों के अनुपालनार्थ, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने फरीदाबाद शहर के वायु स्तर के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और सारे सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। म्यूनिसिपल कोरपोरेशन, फरीदाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से इसका बहुत सारा एरिया दिल्ली के साथ लगता है। एम०सी०एफ० की एक बहुत गंभीर समस्या एयर पोल्यूशन की है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दिल्ली मथुरा रोड एक नेशनल हाई-वे है इस पर क्रैशर जोन हैं, माइज हैं। कम से कम दस हजार बड़े बड़े ट्रक एम०सी०एफ० से रोजाना गुजरते हैं माजरा जी ने जो सदन को आश्वासन दिया है और जो याचिका नं० 13029 है पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और जो ऐक्शन प्लान पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, वह ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन मि० बैस एक निष्ठावान व्यक्ति हैं लेकिन केवल मात्र वहां एक दो मीटिंग करने से या पेपर वर्क या कागजों में प्लान बनाने से वहां जो लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है वह उससे पूरा नहीं होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके लिए कई सर्वे हुए हैं । वर्ल्ड हैल्थ कोरपोरेशन ने भी सर्वे किया है और दूसरी ऐजेन्सीज ने भी सर्वे किया है दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन हमारे एम०सी०एफ० एरिया में है।दिल्ली में ऐन्टर करते ही थोड़ा रिलीफ मिलता है। मैं जानना चाहता हू कि जो ऐक्शन प्लान बनाई है उस पर कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सन्दर्भ में इस कमेटी का गठन किया गया है और उन्होंने एक ऐक्शन प्लान बना करके गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और हरियाणा गवर्नमैंट उसे रिव्यू करके यूनियन गवर्नमैंट को भेजेगी और यूनियन गवर्नमैंट उस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी क्योंकि वे भी पार्टी हैं। वास्तव में वहां इतने अधिक ट्रक हैं, साढे दस लाख वहां की आबादी है वह एक लम्बी चौड़ी ऐक्शन प्लान है, उन्होंने इसके बारे में क्या रिकमैंड किया है अगर बिसला जी चाहेंगे तो वह मैं बता देता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उस रिकमैंडेशन की कॉपी आप सदन की टेबल पर रखवा दीजिए सभी सदस्यों को उसके बारे में पता लग जाएगा।

श्री राम पाल माजरा : सवाल बिसला जी का है, आपका सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं यह बात इसलिए कह रहा हू कि यदि कोई अच्छे सुझाव देने होंगे तो हम भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर नौ हजार थ्री व्हीलर हैं। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिस्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली से जितने थ्री व्हीलर बैन किए हैं वे सारे के सारे वहां आ गए हैं। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : उसी के साथ उन्होंने यह रिकमैंड किया है कि हमें भी इनको बैन करना चाहिए इसके अलावा जो पांच वर्ष से कम उम्र के थ्री व्हीलर हैं उन पर हरा रंग किया जाए और जो पांच वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं उन पर नारंगी रंग किया जाए और जो दस वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं उन पर लाल पट्टी की जाए ताकि उनकी इंस्पैक्शन ठीक ढंग से हो सके और लोगों में भी यह क्रेज रहे कि ठीक रंग के थ्री व्हीलर में बैठें जिससे लाइफ सुरक्षित रहे और हरे रंग के थ्री व्हीलर को चलाया जाए। पहली रिकमैंडेशन यह की है, ऐक्शन प्लान बनाया है जो निर्धारित ईंधन है वह यूज किया जाए। मिलावटी ईंधन यूज करने से ज्यादा पोल्यूशन होता है और उनके कंजैक्शन की वजह से दूसरे व्हीकल भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और आहिस्ता चलने से ज्यादा धुआं देते हैं उनका, विशेष तौर पर उनके तेल का इंस्पैक्शन होना चाहिए। जहां तक पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाली ऐजेन्सीज की बात है, उनका भी इंस्पैक्शन किया जाना चाहिए। थ्री व्हीलर्ज की स्पीड कम होती है इसलिए बदरपुर से बल्लबगढ़ के बीच डीलक्स बसिज का प्रौविजन किया जाए। इसी प्रकार भारत सैकेंड फोर व्हीलर की रजिस्ट्रेशन फरीदाबाद में की जाए। इसी प्रकार से जो थ्री व्हीलर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फरीदाबाद की ओर आ रहे हैं उन पर भी बैन लगाया जाए। जहां तक एल्यूमेनेटिड हाइवे की बात है तो उसकी भी जरूरत है। सी०एन०जी० ऑयल कम्पनी को भी कहा जाए कि दिल्ली मथुरा रोड पर 6-7 जगह अपने सैंटर खोलें। बदरपुर से बल्लभगढ़ रोड को 6 लेन का बनाए जाने की रिकमैंडेशन उनकी है। सूरजकुण्ड से बड़खल रोड की फोर लेनिंग का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। सैक्टर 37, सैक्टर-3, को भी फोर लेनिंग किया जाए। मैट्रो नैटवर्क दिल्ली का फरीदाबाद में विस्तार किया जाए। फरनिश ऑयल की जगह परमानैंट एल०डी०ओ० और एल०एस०जी० का प्रयोग किया जाए। कारखाने जो जीरी का तूशा प्रयोग करते हैं, उन्हें फलोराडाइज किया जाए। इसी प्रकार से कारखानों में डी०जी० सैट में सल्फर और डीजल का प्रयोग किया जाए। इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रसैपिटेटर ई०एस०पी० थर्मल प्लांट का ठीक तरह से काम करें। राइस हसक की रॉ को ठीक ढंग से निपटाया जाए। पौधारोपण किया जाए इस प्रकार की ऐक्शन प्लान उन्होंने बनाई है। जो इस काम में पोल्यूशन कम करने में प्रयोग होगी। यह रिपोर्ट गवर्नमैंट आफ हरियाणा को सबमिट की जा रही है, इसमें गवर्नमैंट आफ हरियाणा अपने रिमार्कस देकर सैंटर गवर्नमैंट को भेजेगी और उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा उसके बाद उस पर कार्यवाही शुरु होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से दिल्ली में सी०एन०जी० के वाहन लागू हो गए हैं, मेरा माजरा जी से निवेदन है कि दिल्ली पैटर्न पर हरियाणा में भी ये वाहन लागू कर देंगे तो पोल्यूशन पर कंट्रोल हो जाएगा।

श्री राम पाल माजरा : सारा ऐक्शन प्लान गवर्नमैंट आफ इंडिया को जाएगा और वे सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली से पोल्यूटिड यूनिटस हरियाणा में आई हैं और अगर आई हैं तो उन पोल्यूटिड यूनिटस की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। खास तौर से गुड़गांव में तो नहीं फरीदाबाद और दूसरे एरियाज में जहां पोल्यूटिड यूनिटस आ रही हैं

जैसे सीमेन्ट यूनिट्स और दूसरी यूनिट्स जो दिल्ली में पोल्यूशन कर रही थी, वे दिल्ली से बाहर आ गई थी, क्या कोई प्लान बनाया गया है कि इस किस्म की यूनिट्स हमारे यहां न आएं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो यूनिट्स पोल्यूशन करती हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके जो फोरमैलीटीज़ हैं वह उनको पूरी करने के लिए कहा गया है। काफी यूनिट्स से हमने सारी फोरमैलीटीज़ पूरी करवाई हैं। जो यूनिट्स दिल्ली से हटकर यहां स्थापित होना चाहती थीं उनसे हमने अलग से एप्लीकेशंज मांगी हैं। हरियाणा में ये यूनिट्स स्थापित करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल का एन०ओ०सी० लेना पड़ता है। कोई नई यूनिट जब आती है तो उसको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सारी फोरमैलीटीज़ पूरी करवाई जाती हैं।

Construction of Sub Station at Bohra Kalan & Harsaru

***1167. Shri Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time by which the under construction sub-station, Bohra Kalan in Pataudi Constituency is likely to be commissioned ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any sub-station at Harsaru in district Gurgaon ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

(क) जिला गुड़गांव के पटौदी चुनाव क्षेत्र में भोरा कलां में एक नया 66 के०वी० लाइन के साथ 2.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन है। इस प्रसार लाइन पर कार्य पहले ही पूरा हो गया है, उपकेन्द्र पर कार्य जारी है और यह उपकेन्द्र दिनांक 31-10-2002 तक चालू किया जाना संभावित है।

(ख) हां श्रीमान् जी। अगले वित्त वर्ष में जिला गुड़गांव के गढ़ी हरसरू में एक नया 66 के०वी० का उपकेन्द्र तथा सहायक लाइन 5.74 करोड़ रुपये की लागत से बनाना स्वीकृत हुआ है।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहता हूं कि चालू वर्ष में सरकार कितने सब-स्टेशनों पर काम शुरु करने जा रही है और ये सब-स्टेशंज़ कहां-कहां स्थापित होंगे ?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संदर्भ है तो यह एक स्पैसिफिक प्रश्न था, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि ये सब-स्टेशंज़ कहां-कहां शुरु करने जा रहे हैं तो इसकी एक लम्बी सूची है, यह सूची मैंने पहले भी विधान सभा में रखी थी, अगर ये चाहेंगे तो मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : भाजरा जी, आप इस बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जिलेवाईज जो नये सब-स्टेशन अंडर कन्स्ट्रक्शन हैं वे इस प्रकार से हैं। जिला अम्बाला में 220 के०वी० का टेपला में, 66 के०वी० का मुलाना में, 66 के०वी० का दुखेड़ी में। जिला पंचकुला में 66 के०वी० का कालका में, 66 के०वी० का मनसा देवी में। जिला यमुनानगर में 66 के०वी० का तलाकोर में और 66 के०वी० का गुलाब नगर में। जिला कैथल में 220 के०वी० का चीक्का में, 132 के०वी० का चाकूलदाना में, 132 के०वी० का पडला में, 132 के०वी० का कंगथली में, 132 के०वी० का मागल में, 33 के०वी० का जाखोली में और 33

[श्री राम पाल माजरा]

के०वी० का कीराक में। कुरुक्षेत्र जिले में 66 के०वी० का कलसाना में, 66 के०वी० का यारा में, 33 के०वी० का मुरथली में, 33 के०वी० का गुमथला में, 33 के०वी० का सेंसा में और 33 के०वी० का नेयसी में। जिला करनाल में 132 के०वी० का जलमाना में, 132 के०वी० का नेवला में, 33 के०वी० का मनौयूरा में, 33 के०वी० का पाडा में, 33 के०वी० का अहर में, 33 के०वी० का निगदू में। पानीपत जिले में 132 के०वी० का मटलोडा में, **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** 132 के०वी० का ईसराना में और 33 के०वी० का दीवाना में। जींद जिले में 220 के०वी० का सफीदों में, 132 के०वी० का धामतान साहिब में और 132 के०वी० का खेड़ी तलोडा में। सोनीपत जिले में 132 के०वी० का मुरथल में, 132 के०वी० का हरसन कलां में, 132 के०वी० का खरखौदा में और 33 के०वी० का खेवड़ा में। रोहतक जिले में 132 के०वी० का महम में, 132 के०वी० का सांपला में और 132 के०वी० का एम०डी०यू०, रोहतक में। हिसार जिले में 132 के०वी० का आर्य नगर में, 33 के०वी० का मंगली में और 33 के०वी० का उमरा में। जिला फतेहाबाद में 220 के०वी० का फतेहाबाद में, 132 के०वी० का अहरवान में, 33 के०वी० का दरियापुर में और 33 के०वी० का सदनवास में। जिला भिवानी में 132 के०वी० का आई०ए० भिवानी में, 132 के०वी० का तोशाम में, 132 के०वी० का लोहारू में, 132 के०वी० का बहल में, 33 के०वी० का पटौदी में, 33 के०वी० का सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी में। सिरसा जिले में 220 के०वी० का रानिया में, 132 के०वी० का मादोसिंघाना में, 132 के०वी० का एलानाबाद में, 132 के०वी० का आसाखेड़ा में, 132 के०वी० का ओधन में, 132 के०वी० का सिकंदरपुर में, 33 के०वी० का मेलाग्राउंड में, 33 के०वी० का रसूलपुर में, 33 के०वी० का खारिया में, 33 के०वी० का शहीदनवाली में, 33 के०वी० का बड़ा गुढ़ा में। जिला महेन्द्रगढ़ में 220 के०वी० का महेन्द्रगढ़ में, 132 के०वी० का सतनाली में और 132 के०वी० का मुण्डियाखेड़ा में। जिला गुड़गांव में 220 के०वी० का सैक्टर-53 ए गुड़गांव में, 66 के०वी० का बोहरा कलां में, 66 के०वी० का 44/45 सैक्टर गुड़गांव में। जिला फरीदाबाद में 220 के०वी० का पाली में, 66 के०वी० का छायंसा में, 66 के०वी० का हसनपुर में, 66 के०वी० का अलावलपुर में, 66 के०वी० का पिरथला में और 66 के०वी० का पुनहाना में। डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह से 75 नये सब-स्टेशन बनाने के लिए पूरे प्रदेश में कार्य चल रहा है और यदि मेरे साथी आगमैंटेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कि आगमैंटेशन का कार्य कहां-कहां पर चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान) पूरे प्रदेश में 55 सब-स्टेशनों को आगमैंट किया जा रहा है और इनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और कर्मचारियों को पूरी बिजली मिल रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए बहुत अधिक काम किया है। जब हम बिजली के संबंध में इनको रिपोर्ट पढ़कर सुनाएं तो भी इनको नाराजगी होती है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार 55 नए सब स्टेशंज इसी साल आगमैंट करने जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जयप्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप बैठिये। आपको बोलने से पहले चेयर की इजाजत लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : पहले आप पूरी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप खड़े हो जाते हैं और बोलने से पहले चेयर की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझते। पहले आप बैठिये।

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, ये चारों तरफ चित्त होकर अब घर बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको पूरी तरह से हरा दिया है। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, जिन 55 नए सब स्टेशंज को इस साल आगमैन्ट किया जा रहा है वे हैं, अम्बाला जिले में 66 के०वी० बरनाला, 66 के०वी० शहजादपुर और 66 के०वी० चुरमासटपुर। पंचकुला जिले में 220 के०वी० पंचकुला में। यमुनानगर जिले में 66 के०वी० मुस्तफाबाद, 66 के०वी० बसंतपुर, 66 के०वी० गोबिन्दपुरी, 66 के०वी० रादौर,-66 के०वी० लाडवा, 66 के०वी० नारायणगढ़, 66 के०वी० छछरौली और 66 के०वी० चांदपुरत। कैथल जिले में 220 के०वी० कैथल, 132 के०वी० कौल, 132 के०वी० थाना और 33 के०वी० राजौन्द। कुरुक्षेत्र जिले में 220 के०वी० पेहवा, 66 के०वी० नादी और 33 के०वी० बरना। करनाल जिले में 132 के०वी० सागा, 132 के०वी० जुण्डला, 33 के०वी० कौंध और 33 के०वी० धर्मगढ़। पानीपत जिले में 132 के०वी० मुनक और 132 के०वी० छाजपुर। जीन्द जिले में 33 के०वी० खेड़ी दलौदा और 33 के०वी० अहट। सोनीपत जिले में 220 के०वी० सोनीपत, 132 के०वी० गोहाना, 132 के०वी० कुण्डली और 33 के०वी० सोनीपत। रोहतक जिले में 220 के०वी० रोहतक, 132 के०वी० कलानौर और 33 के०वी० जरिहा। झज्जर जिले में 132 के०वी० बहादुरगढ़ और 33 के०वी० मछरोली। हिसार जिले में 132 के०वी० उकलाना, 33 के०वी० बरला, 33 के०वी० माटला और 33 के०वी० मुण्डाल। भिवानी जिले में 220 के०वी० भिवानी, 132 के०वी० अटेली और 132 के०वी० झोझुकलां। सिरसा जिले में 33 के०वी० शाहपुर बेगु और 33 के०वी० नाथुसेरी। महेन्द्रगढ़ जिले में 220 के०वी० नारनौल, 33 के०वी० दहनिया और 33 के०वी० बारड़ा। रिवाड़ी जिले में 132 के०वी० बारोली। गुड़गांव जिले में 66 के०वी० फारूखनगर, 66 के०वी० सोहना और 66 के०वी० महरोली रोड। फरीदाबाद जिले में 220 के०वी० पलवल, 66 के०वी० धूज और 66 के०वी० ए-5 फरीदाबाद।

श्री उपाध्यक्ष : माजरा जी, यह क्वैश्चन गुड़गांव से रिलेटिड था। आपको भी पता है कि गुड़गांव पहले से बहुत अधिक एक्पैंड हुआ है। पहले चौधरी साहब ने भी वहां पर 2 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आपकी सिकन्दरपुर और दौलताबाद में 220 के०वी० सब-स्टेशन बनाने की परपोजल है या नहीं, इसके बारे में आप बता दें।

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, फाइनेंशियल ईयर में जो काम होना है वह मैंने पढ़कर सुना दिया है। हम 75 नए सब-स्टेशन लगाने जा रहे हैं और 55 सब-स्टेशन आगमैन्ट किए जाने हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह अपने आप में एक क्रांतिकार कदम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माजरा जी, प्लीज आप वाइंड अप करें।

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, पहले विपक्ष के नेता बताएं कि इस जवाब से इनकी तसल्ली हो गई है या नहीं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि हमारी तसल्ली हो गई है।

श्री रामपाल माजरा : ये विपक्ष के नेता बताएं कि इनकी तसल्ली हो गई है या नहीं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के मामले में हरियाणा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। हिन्दुस्तान में जो 5 प्रदेश बिजली के मामले में अग्रणी हैं उनमें हरियाणा की भी पहली बार इन 5 प्रदेशों में गिनती हुई है।

HAFED Retail Outlets

***1103. Shri Ramesh Rana :** Will the Minister for Co-operation be pleased to state—

(a) the total number of retail outlets for promoting the HAFED consumer products functioning in the State at present ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open more retail outlets in the State ; if so, the details thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) हैफ़ेड के विभिन्न परिसरों में चार परचून दुकानें कार्य कर रही हैं।

(ख) हैफेड ने तीन और परचून दुकानें नीलोखेड़ी, पिपली और घरौंडा में स्थापित करने का फैसला किया है।

श्री रमेश राणा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 3 कस्बों के अन्दर हैफेड की नयी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है जिनमें मेरा हल्का घरौंडा भी है। इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी, पिपली व घरौंडा में हैफेड की तीन नई परचून की दुकानें खोलने का जो फैसला किया गया है ये दुकानें कब तक स्थापित हो जाएंगी और कब तक अपना कार्य करना शुरु कर देंगी ?

श्री करतार सिंह भडाना : डिप्टी स्पीकर सर, हमारी कोशिश जारी है और जल्दी ही ये दुकानें काम करना शुरु कर देंगी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आपने अगर कोई सप्लीमैंट्री पूछनी है तो जब आपको मौका मिलेगा आप पूछ लें। बैठे-बैठे बीच में न बोलें। चेयर की परमिशन ले कर ही बोलें। मैं देख रहा हूं कि आप सवाल पूछना चाहते हैं मैं आपको इसके लिए समय दूंगा। (शोर)

श्री करतार सिंह भडाना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमें भी खूब बोलना आता है। यहां पर ये सम्मानित सदस्य हैं और पर्सनल बात पहले उधर से आई थी और रोड़ी बजरी की बात कही गई। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि ये रोड़ी बजरी की बात न करें। मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये सम्मानित सदस्य हैं।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार पूरे हरियाणा में कुछ ही परचून की दुकानें हैं। अगर हर कस्बे में ये दुकानें खोल दी जाएं तो इनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे और उससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा यह सुझाव है और मैं इनसे यह पूछना भी चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है कि हर जिलास्तर पर और हर कस्बे के अन्दर हैफेड की दुकानें खोली जाएं जिनसे जनता को लाभ मिल सके और हैफेड के प्रोडक्ट जनता को मिल सकें जिससे हैफेड को भी लाभ हो तथा बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके।

श्री करतार सिंह भडाना : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा दूसरा प्रस्ताव भी है कि अगर कोई ऐसी दुकान खोलना चाहे तो जितनी भी जगहों पर चाहें ऐसी दुकानें खुल सकती हैं। वे हमें जगह बता दें अगर वे सही जगह होगी तो वहां पर दुकानें खोल दी जाएंगी।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये को-ऑप्रेटिव सैक्टर में कान्फैड की दुकानें धड़ाधड़ बन्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हैफेड की दुकानें खोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कॉन्फैड के जो कर्मचारी निकाले गए हैं वे कर्मचारी हैफेड में ही मर्ज कर दिए जाएं ?

श्री करतार सिंह भडाना : उपाध्यक्ष महोदय, इनका सप्लीमैंट्री मूल सवाल से सम्बन्धित नहीं है यह अलग सवाल है। अगर अलग सवाल के रूप में यह पूछेंगे तो इनको जवाब जरूर दिया जाएगा।

श्री रमेश कुमार खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हैफेड द्वारा जो दुकानें खोली जानी हैं उनके लिए क्या क्राईटेरिया है ?

श्री करतार सिंह भडाना : उपाध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर इस प्रकार की दुकानें खोल दी जाएंगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जो सवाल पूछना चाहता हूं वह विधायक जी ने अभी जो सप्लीमैंट्री पूछी है उसी से सम्बन्धित है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विधायक जी के पहले सप्लीमैंट्री को न दोहराएं और अगर कोई नया सप्लीमैंट्री सवाल है तो वह पूछें।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि विधायक रमेश खटक जी ने प्रश्न किया है, मेरा भी यही प्रश्न है कि इन दुकानों को सब डिविजन हैडक्वार्टर और जिला हैडक्वार्टर पर खोलने का क्या क्राईटेरिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके प्रश्न को न दोहराएं अगर आपने अलग से सप्लीमैंटरी पूछनी है तो पूछ लें।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारी मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हैफेड की नई परचून की इन दुकानों को सब डिविजन हैडक्वार्टर और जिला हैडक्वार्टर पर खोलने जा रहे हैं। इनको खोलने का क्या क्राईटेरिया है ?

श्री करतार सिंह भडाना : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई क्राईटेरिया नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बताएं कि रमेश खटक के प्रश्न में और आपके प्रश्न में क्या अन्तर है। (शोर एंव व्यवधान) आप बैठें। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को यहां पर न प्रश्न करने आते हैं, न भेजने आते हैं और न ही पूछने आते हैं। यहां पर रमेश ने जो प्रश्न पूछा है उसी को बार बार दोहराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हैफेड की दुकानें कायदे और कानून के मुताबिक डिमाण्ड के हिसाब से खोली जाती हैं। अगर सदन का कोई सदस्य दुकान खोलना चाहता हो तो वह अपनी दरख्वास्त भेज दे उस पर गौर कर लिया जाएगा।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से पूछना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी आप बार बार बीच में दखल न दें और बार बार मत बोलें। It is not proper. Next question Shri Bishan Lal Saini.

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब ही नहीं देना आता है तो हम इनसे क्या प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

Reduction in Consumption of Coal and Oil

***1084. Dr. Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is any reduction in the consumption of oil and coal in Power Plant Stations in the State since 1999-2000 ; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हां श्रीमान। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत केन्द्रों में वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 से जुलाई 2002 तक की अवधि में प्रति यूनिट बिजली के उत्पादन हेतु तेल तथा कोयले की खपत में कमी आई है। तेल की खपत 12.70 मिली लिटर से घट कर 3.23 मिली लिटर दर्ज की गई जिससे निगम को 104.46 करोड़ रुपये की बचत हुई इसी प्रकार कोयले की खपत 838 ग्राम से घट कर 777 ग्राम दर्ज की गई जिससे 97.47 करोड़ रुपये की बचत हुई।

डा० बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, सी०पी०एस० ने 1998-99 की तुलना में 1999-2000 से जुलाई 2002 तक तेल तथा कोयले की खपत में उल्लेखनीय कमी आई के बारे में बताया है और इसमें 104.46 करोड़ रुपये और दूसरे 97.47 करोड़ रुपये की बचत हुई है। अगर इसको टोटल करें तो यह अमाउन्ट 201.93 करोड़ बनते हैं। यह जो बचत हुई है या लाभ हुआ है क्या सरकार की ऐसी कोई स्कीम है कि इस बचत की वजह से जो गरीब लोग और गरीब किसान बिजली के उपभोक्ता हैं तो उन सब के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे या उनके बिलों के रेटों को कम करने की सरकार की ऐसी कोई मंशा है ?

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि ताप घरों की कार्यकुशलता बढ़ाई गई है और उनकी मोनिटरिंग की गई है। यह जो बचत की गई है इस बारे में हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि लोगों के बिलों को कम किया जाए या माफ किया जाए। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहूंगा कि आंकड़ों के मुताबिक थर्मल प्लांट में फ्यूल कंजम्पशन कम हुई है और प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। तो क्या सरकार की तरफ से भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे हमारी थर्मल प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ सके और फ्यूल कंजम्पशन रेशो जिसमें तेल है, कोयला है, की खपत उससे भी माईनस में चली जाए।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ताप घरों के उत्पादन की क्षमता में कोयले और तेल की खपत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने सुधारीकरण और पुनर्गठन की मोनिटरिंग का काम किया है और इसी प्रकार से प्लांटों में समस्याग्रस्त बिन्दुओं को पहचाना गया और उनको सोल्व करके उन समस्याओं को दूर किया है।

इसी प्रकार से प्रोत्साहन स्कीमें भी शुरु की गई हैं ताकि लोड फैक्टर बढ़ाया जा सके। हमने कर्मचारियों को भी बैनिफिट दिया है कि अगर वे प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाएंगे तो उनको इन्सैंटिव दिया जाएगा। कर्मचारियों ने मेहनत की तो हमने उनको इन्सैंटिव देने का काम भी किया है और उनको इन्सैंटिव दे भी रहे हैं। इसी प्रकार से शिफ्टिंग की निरन्तर मोनिटरिंग की जा रही है और उनको शट-डाउन भी कर देते हैं जिससे उनकी शिडयूल्ड डेट पर शिडयूल्ड रेट पर मैंटेनैंस की जा सके। हमने हमारे स्टाफ के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है और उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनको लेटैस्ट टैक्नोलोजी को आडप्ट करने के बारे सिखाया जाता है जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम होती है। अध्यक्ष महोदय, उपकरणों के विशेष जीवन का आंकलन किया गया है जिसकी वजह से जैसा कि मैंने माननीय साथियों को बताया था लगभग 200 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में 1998-1999 के मुकाबले में 1999-2000 से लेकर जुलाई 2002 तक प्रति यूनिट बिजली के उत्पादन हेतु तेल और कोयले की खपत को बताते हुए कहा है कि तेल की खपत 12.70 मिली लीटर की तुलना में 3.23 मिली लीटर हो गयी है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यह तो कई गुना खपत कम हुई है। क्या मंत्री जी बोर्ड के उन अधिकारियों या बोर्ड के मैम्बर्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने 1998-99 में यह इतना भारी घपला किया है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, यह तो कार्य कुशलता की बात है। हम अपने किए हुए कार्यों पर तो नाज कर सकते हैं लेकिन पीछे किसने क्या किया क्या नहीं किया या उस पर कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह कोई गबन की बात तो है नहीं यह तो मशीनरी की बात है। इसको गबन नहीं माना जा सकता। यह तो हमारी कार्य कुशलता है। हमने स्टाफ को ट्रैनिंग दी एवं नयी नयी टैक्नोलॉजी सिखायी जिसका नतीजा यह हुआ है कि 200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। (विघ्न)

श्री मालिक चन्द गंभीर : अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से हमारी सरकार बिजली की चोरी रोक रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनका बिजली के रेट्स भी कम करने का विचार है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, बिजली के रेट्स कम करना या ज्यादा करना यह तो रैगुलेटरी कमीशन का काम है। हम बिजली की चोरी को रोक लें तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिजली के रेट्स कम किए जाएं। यह काम तो रैगुलेटरी कमीशन का है वही इसको देखेगा।

Digging of Drains

***1156. Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out Sullar Drain, Amipur Drain and Vadauli Drain in District Ambala ; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हां श्रीमान जी। सुल्लर ड्रेन, चौड़मस्तपुर ड्रेन (गांव अमीपुर के लिए) तथा बडौली ड्रेन की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 105.47 लाख रुपये सुल्लर ड्रेन के लिए, 15.36 लाख रुपये चौड़मस्तपुर ड्रेन के लिए और 13.33 लाख रुपये बडौली ड्रेन के लिए हैं।

श्री जसबीर मलौर : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इन तीनों ड्रेनों को स्वीकृत करके इनके लिए पैसा देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्लड से वहां पर काफी नुक्सान हुआ करता था लेकिन अब जो सरकार ने इन ड्रेनों को बनवाने के लिए बजट में पैसा रखा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने खुद भी वहां पर जाकर देखा था वहां पर फ्लड से बहुत भारी नुक्सान हुआ करता था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इनको जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें ताकि अभी जो वहां पर फ्लड से नुक्सान हो जाता है उससे बचा जा सके।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह तीनों ड्रेनें फ्लड कंट्रोल बोर्ड की 22-1-2001 की मीटिंग में द्वितीय वरीयता पर रखी गयी थीं लेकिन सरकार के मुखिया माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस मामले के ऊपर बहुत ही कंसर्ड है जिसकी वजह से इनको द्वितीय वरीयता से हटाकर प्रथम वरीयता में किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि ये तीनों ड्रेनें प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट प्रिफरैन्स में ली गयी हैं। जो इनका निर्धारण समय है उस तक यह पूरी कर ली जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Water Supply Scheme for Mewat Area

***1092. Shri Hamid Hussain :** Will the Chief Minister be pleased to state the total expenditure incurred on water supply scheme in the Mewat Area during the year 2002-2003 togetherwith the details of the work executed till to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वर्ष 2002-2003 के दौरान 31-7-2002 तक मेवात क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर 283.61 लाख रुपये खर्च किए गए। इस समय के दौरान मेवात क्षेत्र में 29 ट्यूबवैल तथा 9 बुस्टिंग स्टेशन लगाए गए व चालू किए गए हैं। 88 किलोमीटर पाईप लाईन भी बिछाई गई है। अन्य 36 ट्यूबवैलों और 20 बुस्टिंग स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं से दो शहर तथा 48 गांव लाभान्वित हुए हैं।

इनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबन्ध

वर्ष 2002-2003 में (31-7-2002 तक) किए गए कार्यों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2002-2003 के दौरान (31-7-2002) तक किए गए कार्य		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	लगाए गए नलकूपों की संख्या जो चालू किए गए	26	3	29
2.	नलकूपों की संख्या जो लग गए हैं पर चालू किए जाने हैं	36	0	36

1	2	3	4	5
3.	लगाए गए बुस्टिंग स्टेशनों की संख्या	7	2	9
4.	बुस्टिंग स्टेशनों की संख्या जहां कार्य प्रगति पर है	20	0	20
5.	बिछाई गई पाईप लाईन की लम्बाई (किलोमीटर में)	72	16	88
6.	लाभान्वित गांवों की संख्या	48	0	48
7.	लाभान्वित शहरों की संख्या	0	2	2

Reservation Policy

***1115. Shri Malik Chand Gambhir :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the category wise present position in regard to the implementation of reservation policy in the Education Department ;

(b) whether any efforts are being made by the Government to recoup the backlog of various categories in the aforesaid Department ; and

(c) if so, the time by which the backlog of the said various categories is likely to be recouped ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) शिक्षा विभाग में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वर्गवार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :—

	संस्वीकृत पद	भरे हुए पद (आरक्षित वर्गों सहित)	बैकलॉग			
			अनु०जा०	पिछड़े वर्ग	भू०पू० सैनिक	विकलांग
प्राथमिक शिक्षा	40568	37435	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
माध्यमिक शिक्षा	64117	56093	763	836	899	127
उच्चतर शिक्षा	5196	4383	122	66	33	11

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) राज्य में गैर शिक्षक अमले की सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है। आरक्षित वर्गों के अध्यापकों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जाने वाली प्रत्येक मांग में राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार उपबन्ध किया जाता है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में भी आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, बशर्ते कि पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हों। तथापि, बैकलॉग पूरा करने हेतु कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

Accelerated Urban Water Supply Programme

***1097. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of towns approved under the Accelerated Urban Water Supply Programme alongwith estimated cost, during the current financial year ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : दो शहरों की योजनाएं क्रमश: पुन्हाना और हसनपुर चालू वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं, जिनकी अनुमानित राशि 165.25 लाख रुपये और 147.05 लाख रुपये है।

Yamuna Action Plan

***1079. Shri Suraj Mal**
Shri Krishan Lal } : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the work under Yamuna Action Plan Phase-I has been completed ; and

(b) if so, the town-wise details of the facilities provided under the said scheme ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) (i) हां श्रीमान् जी। यमुना कार्य योजना चरण-1 व एक्सटैंडिड फेज के अधीन 6 मुख्य शहरों, क्रमश: यमुनानगर-जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फ़रीदाबाद में कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) 6 अतिरिक्त शहरों, क्रमश: छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौंडा, गोहाना व पलवल में कार्य प्रगति पर है।

(ख) यमुना कार्य योजना चरण-1 के अधीन दी गई सुविधाओं का नगरवार ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

ब्यौरा

यमुना कार्य योजना चरण-1 के अधीन दी गई सुविधाओं का नगरवार ब्यौरा

ए-मुख्य शहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)-मूल कार्य

क्र०	शहर	अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ों में)	मल उपचार संयन्त्र		मुख्य सीवर	अल्प लागत शौचालय	उन्नत शवदाह गृह	नहाने के घाट
			संख्या	एम०एल०डी०	कि०मी०	संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	यमुनानगर	25.20	1 1	10 25	15.97	4x20	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	करनाल	23.73	1 1	40 8	7.43	4x20	6	-
3.	पानीपत	41.55	1 1	10 35	17.75	4x20	3	-
4.	सोनीपत	22.23	1	30	12.00	3x20 2x10	4	-
5.	गुड़गांव	18.85	1	30	5.82	5x20 1x10	4	-
6.	फरीदाबाद	67.84	1 1 1	20 45 50	22.81	8x20	4	-
	जोड़	**199.40**	**11**	**303**	**81.78**	**28x20+ 3x10**	**24**	**2**

बी-मुख्य शहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना) (एक्सटैंडिड फेज)

क्र०	शहर	अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ों में)	मुख्य सीवर	अल्प लागत शौचालय	अतिरिक्त सलज ड्राईंग बैड	पाईलट डिसइन-फैक्शन प्लांट
			कि०मी०	संख्या	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	यमुनानगर	3.78	13.56	4x10	10	—
2.	करनाल	3.08	7.65	4x10	6	1 एम०एल०डी० बायो-टावर
3.	पानीपत	2.11	6.00	3x10	10	—
4.	सोनीपत	0.56	—	3x10	6	—
5.	गुड़गांव	8.74	14.96	5x20	6	—
6.	फरीदाबाद	7.28	—	10x20+ 15x10	18	2 एम०एल०डी० अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तथा 1 एम०एल०डी० सोलर रेडिएशन प्लांट
	जोड़	**25.54**	**42.12**	**15x20+ 29x10**	**56**	**3**

नोट :— यह सभी कार्य मार्च 2002 तक 7 महीने के रिकार्ड समय में पूर्ण कर दिये गये हैं।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सी-अतिरिक्त शहर (बिना बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)

क्र०	शहर	अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ों में)	सीवर किं०मी०	मल उपचार संयन्त्र			
				कार्य पूर्ण हो चुका है		कार्य प्रगति पर है	
				संख्या	एम०एल० डी०	संख्या	एम०एल० डी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छछरौली	0.65	2.65	0	0	1	1
2.	रादौर	1.09	4.23	0	0	1	1
3.	इन्दरी	1.37	6.02	0	0	1	1.5
4.	घरौंडा	1.41	4.05	0	0	1	3
5.	गोहाना	3.47	9.71	1	3	0	0
				1	0.5	0	0
6.	पलवल	7.89	9.67	0	0	1	9
	जोड़	15.88	36.33	2	3.5	5	15.5

Relief Provided to the Electricity Consumers

***1116. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any relief is being provided by the HVPN/DHBVN/UHBVN to the consumers in Agriculture/Domestic/Industrial sectors for making payment to the outstanding electricity bills in the State ; if so, the district-wise details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान्, बिजली उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों की राशि को जमा कराने के लिए समय-समय पर वर्तमान सरकार ने विभिन्न अधिभार माफी योजनाएं लागू करके राहत दी है। यद्यपि अन्तिम अधिभार माफी योजना मई, 2002 में घरेलू आपूर्ति, गैर-घरेलू आपूर्ति तथा कृषि सम्बन्धी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई थी जो प्रथम मई 2002 से 31 मई 2002 तक चालू रही। इन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 9 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। जुलाई 1999 से 1172.92 करोड़ रुपये की बकाया राशि का निपटान कराया गया और कृषि सम्बन्धी/घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 243.36 करोड़ रुपये की राहत दी गई।

पस्मिण्डल अनुसार विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। विद्युत यूटिलिटिज द्वारा जिला अनुसार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

(अ) जुलाई 1999 से विभिन्न प्रभार माफी स्कीमों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दी गई राहत तथा निपटाये गए तथा बकाया का परिमण्डल अनुसार विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

(रुपये लाखों में)

परिमण्डल का नाम	योजना को अपनाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या	वसूल की गई राशि	माफ की गई राशि	निपटान की गई कुल राशि
1	2	3	4	5
अम्बाला	15594	476.30	361.28	837.58
यमुनानगर	17455	464.24	179.76	644.00
सोनीपत	52733	1681.84	1460.54	3142.38
कुरुक्षेत्र	181391	5037.12	2222.45	7259.57
करनाल	155167	4272.15	2593.09	6865.24
जींद	101343	3378.66	3655.00	7033.66
रोहतक	59106	2313.94	3336.45	5650.39
फरीदाबाद	37816	1858.02	1590.20	3448.22
गुड़गांव	40713	1357.58	1454.96	2812.54
नारनौल	53663	1616.43	1792.82	3409.25
भिवानी	80321	2287.87	3166.54	5454.41
हिसार	79873	2339.77	2076.19	4415.96
सिरसा	23261	530.16	447.54	977.70
योग	**898436**	**27614.08**	**24336.82**	**51950.90**

(ब) उपरोक्त प्रभार माफी स्कीमों के अलावा अन्य से वसूल की गई राशि। 653.41 करोड़

योग 1172.92 करोड़

Setting up of Power Sub-station

***1080. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Power Sub-station of 33 KV and above in District Kurukshetra, if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान्। जिला कुरुक्षेत्र की प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 6 उपकेन्द्र 13.91 करोड़ रुपये की लगात से बनाने की योजना है। ये उपकेन्द्र इस प्रकार हैं, 66 के०वी० के दो उपकेन्द्र एक कलसाना में तथा दूसरा यारा में, 33 के०वी० के चार उपकेन्द्र मुरथली, नैस्सी, गुमथला तथा सैन्सा में लगाने की योजना है। इस के अतिरिक्त 220 के०वी० उपकेन्द्र पेहवा, 66 के०वी० उपकेन्द्र नलधी तथा 33 के०वी० उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, किरमिच तथा बारना की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ये कार्य अगले वित्त वर्ष में पूरे होने सम्भावित हैं।

Construction of New 33 KV Sub-station

***1072. Shri Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new 33 KV Sub-station at village Keodak in Kaithal constituency ; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान्, कैथल चुनाव क्षेत्र के गांव क्योडक में एक नये 33 के०वी० सब-स्टेशन के निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह उपकेन्द्र चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा होना सम्भावित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Building of Hospitals

111. Rao Narender Singh
Capt. Ajay Singh Yadav } : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether any building of Hospitals/PHCs/CHCs/Health Centres in District of Gurgaon, Mahendergarh, Rewari, Jhajjar and Faridabad are in dilapidated condition ; if so, the number thereof ; and

(b) whether the requisite number of staff *i.e.* Doctor/Nurses/ANMs have been provided in the Hospitals/PHCs/CHCs/Health Centres of the aforesaid Districts ; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रेगा) :

(क) जी हां। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहड, जिला रिवाड़ी का भवन जर्जर हालत में है।

(ख) अमले की वांछित स्थिति अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई है।

अनुलग्नक

अमले की स्थिति-गुड़गांव, नारनौल, झज्जर, फरीदाबाद तथा रिवाड़ी जिलों में डाक्टरों, नर्सों, ए०एन०एमज० तथा औषधिकारकों के पदों की।

क्र० सं०	जिला	डाक्टर						नर्से			ए०एन०एमज०			औषधिकारक		
		एच०सी०एम०एस०-I			एच०सी०एम०एस०-II											
		स्वीकृत	भरे हुए	खाली	स्वीकृत	भरे हुए	खाली	स्वीकृत	भरे हुए	खाली	स्वीकृत	भरे हुए	खाली	स्वीकृत	भरे हुए	खाली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	गुड़गांव	19	13	6	122	115	7	89	73	16	169	156	13	46	40	6
2.	नारनौल	18	13	5	63	45	18	62	30	32	122	119	3	28	22	6
3.	रिवाड़ी	13	13	-	52	51	1	36	18	18	110	107	3	26	25	1
4.	झज्जर	8	7	1	64	58	6	31	31	-	127	127	-	9	8	1
5.	फरीदाबाद	39	39	-	209	176	33	117	90	27	190	163	27	129	109	20
	कुल :	97	85	12	510	445	65	335	242	93	718	672	46	238	204	34

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

Shortage of Staff

112. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that there is shortage of staff in I.T.I., Village Desujodha in Dabwali Constituency ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to remove the shortage of aforesaid staff ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) एवं (ख) : गाँव देसुजोधा, निर्वाचन क्षेत्र डबवाली में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। परन्तु देसुजोधा में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान चल रहा है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, देसुजोधा में अमले की कुछ कमी है। रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। फिर भी, निकटवर्ती संस्थानों से प्रशिक्षण अमले की अस्थाई ड्यूटी इस अतिरिक्त कार्य को करने के लिए लगा दी गई है ताकि छात्रों के प्रशिक्षण में बाधा न आए।

Upgradation of Schools

113. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade any school of Palwal Constituency ; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी हां, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिकन्दरपुर एवं गैलपुर को मिडल स्तर तक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जनौली को उच्च स्तर तक तथा राजकीय उच्च विद्यालय अहरवा व राजकीय उच्च विद्यालय अलावलपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर तक पलवल विधानसभा क्षेत्र में स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Barrage on Yamuna River

114. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Barrage on Yamuna River in District Faridabad ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी। जिला फरीदाबाद के पलवल में यमुना नदी पर बांध (बैराज) बनाने के प्रस्ताव का निर्णय लिया गया था जोकि योग्य नहीं पाया गया। इसलिए योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

Construction of Booster

115. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct/ install Booster for augmenting drinking water supply in following villages of Palwal Constituency :—

1. Alika	2. Deeghot	3. Karna
4. Firozpur	5. Baghola	6. Attarchata
7. Pirthala	8. Dhatir	9. Teekri Brahamin ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चार गांवों, नामतः अलीका, डीघोट, कर्णा और बघोला में बूस्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। दो गांवों नामतः, पिरथला और घतीर में बूस्टर पहले ही चालू कर दिए गए हैं और जलापूर्ति इनके माध्यम से की जा रही है। गांव फिरोजपुर, अत्तरचला और टीकरी ब्राह्मीण में बूस्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन गांवों में जलापूर्ति की स्थिति संतोषजनक है।

Construction of School Building in Palwal

116. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to construct a New Building for Girls Senior Secondary School Main Bazar Palwal in District Faridabad, if so, the time by which it is likely to be constructed ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) :

(ए) नहीं श्रीमान जी, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(बी) उपरोक्त (ए) के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Making of Distributory Pucca

120. Shri Jasbir Mallour : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the distributory pucca from burji No. 4000 to 10000 passes near the village Mallour, District Ambala ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) इस डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी 4,000 से 10,000 तक पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Strike by Employees of Municipal Committee, Charkhi Dadri

121. Shri Jagjit Singh : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the employees of the Municipal Committee, Charkhi Dadri are on strike, if so, the reasons thereof and the steps taken or proposed to be taken to call off the strike ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द गोयल) : नहीं, श्रीमान्। नगरपालिका चरखी दादरी के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है।

Booster Lying Incomplete

122. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is shortage of drinking water in village Pandwan in sub-division, Dadri on account of non-completion of Boosting Station ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Boosting Station is likely to be made functional ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) व (ख) नहीं श्रीमान् जी। खेड़ी बूरा समूह जिसमें गांव पांडवान शामिल है, में बूस्टिंग स्टेशन पहले ही दिसम्बर, 2000 में चालू कर दिया गया है। गांव पांडवान में पेयजल की और बढ़ोतरी के लिए जुलाई 2002 में 5.85 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक अलग नलकूप स्वीकृत किया गया है।

Erection of Power Line

123. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the sanction for erecting of new electricity line in village Patuwas, District Bhiwani has been accorded by DHBVN;

(b) whether it is also a fact that the material for the purpose referred to in part 'a' above is lying there ; and

(c) if so, the reasons for not erecting the line in the village referred to in part 'a' above so far together with the time by which it is likely to be erected ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) से (ग) तक) गांव पासुवास में नई अतिरिक्त एल०टी० बिजली लाईन को खड़ा करने के लिए 1.73 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया है।

अनुमान में 27 पोलों का प्रावधान किया गया है। सात पोल कार्य के लिए स्थल पर ले जाए गए थे। रूट के लिए गांव वालों के आपत्ति करने के कारण और लाईन की स्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि वे अपनी भूमि में पोल खड़ा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे।

अब एक वैकल्पिक रूट को अंतिम रूप दिया गया है तथा कार्य 30 सितम्बर 2002 तक पूरा हो जाएगा।

Erratic Supply of Electricity

124. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that there is erratic supply of electricity in sub-division Dadri ; if so, the steps taken or proposed to be taken for the supply of uninterrupted electricity ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : दादरी उपमण्डल को बिजली आपूर्ति निर्धारित अनुसूची के अनुसार दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में चौबिसों घण्टे बिजली आपूर्ति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-फेस बिजली आपूर्ति सभी फीडरों को दिन के समय 8 घण्टे प्रतिदिन तथा 2-फेस बिजली आपूर्ति लाईटिंग लोड के लिए सभी ग्रामीण फीडरों को हर रोज रात के समय दी जा रही है।

दादरी राजस्व उप-मण्डल जो कार्यकारी अभियंता/परिचालन, दादरी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है का माह अनुसार उपभोग निम्न प्रकार है :-

मास	वर्ष 2001-2002 (यूनिट लाखों में)	वर्ष 2002-2003 (यूनिट लाखों में)
अप्रैल	204.78	201.96
मई	180.20	209.95
जून	164.65	287.60
जुलाई	137.45	312.49
अगस्त	147.84	312.68 (28-8-02 तक)
योग	834.92	1324.68

इस प्रकार वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2002-2003 के दौरान बिजली आपूर्ति की उपलब्धि 60 प्रतिशत तक बढ़ी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

राज्य में सूखे की स्थिति संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. regarding drought situation in Haryana particularly in the southern part of Haryana. I have admitted it.

Capt. Ajay Singh Yadav and Shri Karan Singh Dalal, Members have also given calling attention notice on the similar subject. They can also raise questions. An Adjournment Motion No. 1 from Shri Bhupinder Singh Hooda, M.L.A., Shri Bhajan Lal, M.L.A., Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A., Shri Shadi Lal Batra, M.L.A., Shri Sher Singh, M.L.A. and Shri Jitender Singh Malik, M.L.A. has also been received on the same subject. The Adjournment Motion No. 1 is converted into Calling Attention Motion and they can raise one question each.

विभिन्न मामले उठाना

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आज के हिन्दुस्तान टाईम्ज अखबार में एक खबर छपी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अभी आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, मैं भी एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। अम्बाला से हमारी चुनी हुई विधायिका श्रीमती वीना छिब्बड़ पर जिस तरह से हमला हुआ है, उनको पानी में डुबोया गया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, अभी आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। यह एक चुनी हुई विधायिका का मामला है। यह बहुत ही सीरियस मैटर है।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप बैठिए। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please make silence.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंबर्ज को जीरो ऑवर में अपनी बात रखने का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

16.00 बजे

श्री अध्यक्ष : आप लोग बोले नहीं तो मैंने शुरु कर दिया। कृष्ण पाल जी, प्लीज़ बी साईलैंट, अब लीडर ऑफ दि हाउस बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एक विशेष मामले का उल्लेख किया है जो इस सदन के एक सम्मानित सदस्य से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों अम्बाला में यकलखत भारी बारिश हो जाने की वजह से अपने क्षेत्र में आए हुए पानी के प्रति लोगों को सांत्वना देने की दृष्टि से उस क्षेत्र की सम्मानित विधायिका वीना छिब्बर वहां गईं। कुछ लोगों ने उनका केवल विरोध ही नहीं किया बल्कि अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, उन्हें पानी में गिराया। (शेम-शेम) उनको चोट लगी, उनके फ्रेक्चर हुआ और पुलिस ने फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई की। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। संयोग से वे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लोग थे। (शेम-शेम) दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के महिला सशक्तिकरण वर्ष में और खास तौर से उस पार्टी के लोगों द्वारा, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एक महिला हैं, चाहे इस देश की नहीं लेकिन आखिर तो महिला हैं जहां वे अपनी अध्यक्षा के प्रति इतना सम्मान प्रकट करते हैं जब हुड्डा जी से पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो वे कहते हैं कि हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी बनाएंगी तब बनेंगे। भजन लाल जी से पूछते हैं तो ये उनको बहकाकर के कह कर आते हैं कि एक दफा मुझे अध्यक्ष बना दो तीन महीने में या तो मैं सरकार तोड़ दूंगा या खुदकुशी कर लूंगा। हमारी पुलिस को कई दफा यदि किसी सदस्य के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो उसकी रक्षा का काम भी करना पड़ता है। कई दफा सदन का कोई सम्मानित सदस्य खुदकुशी करने की बात करे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे लिए बड़ी ही विकट परिस्थितियां हैं

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ये आपस में तो मिलकर नहीं रह सकते, सदन का बहुमूल्य समय खराब करते हैं। सारी सीमाएं लांघ जाते हैं ख्वाब बड़े लम्बे चौड़े लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। हमारी सरकार का एक निर्णय है कि जिस किसी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करेगा चाहे वह कितने ही उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, सरकार उसे कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्त सलूक किया जायेगा। (शोर एवं विघ्न) उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदन के सदस्यों के नेता को और सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, यह बात अलग है कि कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं समझते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्ज्जर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कार्यवाही की, इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी भजन लाल ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की यह बड़े अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि नैना कांड के बाद, मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष को मगरमच्छ से खिलवाने के बाद कांग्रेस ने सबक सीख लिया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्ज्जर : अध्यक्ष महोदय, हमें भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से तो बड़ी उम्मीद थी, भजन लाल जी से तो हमें कोई आशा नहीं थी क्योंकि उनके राज में तो महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वह सबको पता ही है जैसे द्रोपदी कांड, रेणुका कांड, सुमद्रा कांड, शर्मा कांड आदि। इसलिए इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से तो हमें बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने भी अपनी पार्टी के उस नुमांइदे को पार्टी से नहीं निकाला इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब, बड़े शरीफ और सज्जन आदमी हैं, ये अध्यक्ष थे फिर भी बजाय उसको पार्टी से निकालने के इन्होंने उसकी पीठ थपथपाई इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। जबकि इनको उसको पार्टी से निकालना चाहिए था। लेकिन हुड्डा साहब यह नहीं कर पाए, भजन लाल तो ऐसे लोगों को सरपरस्त करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एक दुशासन महाभारत में था जिसने द्रोपदी का चीर हरण किया था और एक दुशासन भजन लाल जी की पार्टी में हैं जिसने हमारी बहन को मारने की कोशिश की। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ऐसे दुशासन को पालने का काम करती है। जहां ऐसे कामों को करने वालों को सजा मिलनी चाहिए वहीं कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, इसका नतीजा इन्होंने कई बार भुगत भी लिया है। ये इतिहास से सीखने का काम क्यों नहीं करते।

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * *

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं भजन लाल जी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने महिलाओं को, पदाधिकारियों को तंदूर में जलाया होगा, आपने कांग्रेस की किसी प्रदेश की महिला अध्यक्ष को मगरमच्छ से खिलवाया होगा, ये सब काम आपकी पार्टी करती थी लेकिन भाजपा की महिला की तरफ अगर कोई आंख भी उठाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : * * * * *

श्री अध्यक्ष : रामकिशन फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपनी गति से चलता है। समय कभी किसी को माफ नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये महिलाओं का अपमान करना छोड़ दें और यदि इनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है तो ये हम से सीख लें कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, हम इन्हें सिखा देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी की कोई भी बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी से कहना चाहूंगा कि ये 1991 से 1996 के अपने राज के समय के इतिहास को दोबारा न दोहरायें और इनकी पार्टी में जो दुशासन हैं उनके खिलाफ ये कार्यवाही करें तथा उनसे अपनी पार्टी को मुक्ति दिलायें। जो कुछ भी बहन वीना छिब्बर के साथ हुआ उसके लिए चौधरी भजन लाल जी यहां खड़े होकर क्षमा याचना करें और उसकी निन्दा करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब राम किशन फौजी अपनी बात कहेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे बोलने दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, प्लीज आप बैठ जायें। आपका नाम नहीं लिया आप ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) पहले राम किशन फौजी को सुन लें, उसके बाद आप अपना जवाब इकट्ठा दे देना। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, आपके रोल के बारे में * * * कहना पड़ रहा है कि आपकी * * * है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी जो गलत शब्द यूज कर रहे हैं वे हाउस की कार्यवाही से निकाल दिए जायें।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, काफी समय से कांग्रेस के साथी यहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे और अब राम किशन फौजी को भी बोलने नहीं दे रहे। इस तरह से ये एक फौजी और हरिजन के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, आपके रोल के बारे में * * * कहना पड़ रहा है कि आपकी * * * है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी जो गलत शब्द यूज कर रहे हैं वे हाउस की कार्यवाही से निकाल दिए जायें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी गुर्जर साहब ने यहां खड़े होकर बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण कांग्रेस के बारे में दे दिया। अध्यक्ष महोदय, दीना छिब्बर हमारी बहन हैं और यदि इनके साथ कोई ज्यादती हो गई तो यह बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हमारी कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की लेकिन इनके कहने से उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि इनकी बात सही है और वे गुनाहगार हैं तो उनके खिलाफ हम जरूर कार्यवाही करेंगे। यदि वे गुनाहगार नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अभी चौटाला साहब कह रहे थे कि चौधरी भजन लाल तीन महीने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनकर आया है, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि तीन महीने ही मेरे लिए काफी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अंदर तीन महीने की भी गारंटी नहीं है, इनको कैसे वहम हो गया कि ये तीन महीने तक भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहेंगे, उससे पहले भी ये हट सकते हैं। मैंने यह कहा था कि ये यह कह कर अध्यक्ष बने थे कि ये तीन महीने में हमारी सरकार गिरा देंगे। कांग्रेस की अध्यक्षा एक औरत है और वह भजन लाल जी के बोलाये में आ गई लेकिन यह सदन इनके बोलाये में नहीं आयेगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा। इनकी सरकार तो अपने आप गिर जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही बात कह रहा हूं जो बात मुझे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बताई है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश बरवाला जी चेयर की इजाजत के बिना जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिये।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, पहले मेरी बात तो सुनें। * * * * *

श्री अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाये।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, विरोधी दल के नेता की कुर्सी से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना वाया मीडिया है। (विघ्न) वहां पर वाया मीडिया पहुंचने का रास्ता है। हमने वहां पहुंचना है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर वाया मीडिया यहां पहुंचने का रास्ता है तो हुड्डा साहब से कहलवा दो। हुड्डा साहब से हां भरवा दो। हुड्डा साहब, क्या आप इस वाया मीडिया से सहमत हैं ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : रास्ता तो यही है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये, आपने अपनी सारी बात कह ली।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जब चाहें बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये आपसे बोलने के लिए पूछते भी नहीं। ये यह भी नहीं सोचते कि कौन बोल रहा है और न यह देखते कि इनसे उम्र में बड़ा बोल रहा है और न यह देखते कि जो बोल रहा है वह इनसे ज्यादा तुजुर्बा रखता है। (विघ्न) आपकी तीन दफा नाक रगड़ रखी है। ये यूं ही बीच में बोलने लग जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये। जिस सब्जैक्ट पर आप बोल रहे हैं, वह सब्जैक्ट बोलने के लिए नहीं है।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, इनको बोलते हुए कुछ सोचना चाहिए। आज प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि इनको आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यह थोड़े दिनों का ही मामला है। अब इनका मामला ज्यादा दिन का नहीं है। ये कहते हैं कि मैं यह कहकर आया हूं------(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये।

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, हमारी पार्टी बाकायदा एक है। हम एकजुट हो करके मुकाबला करेंगे और आपको चलता करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, कृष्णपाल जी ने जो चर्चा की उसमें मेरा नाम भी आया है। मैं उस संबंध में बोलना चाहता हूं। मैं कृष्णपाल जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो मामला चल रहा है यह कौन सी तारीख का है ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर : यह मामला दिनांक 14-8-2002 का है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं 31-7-2002 तक अध्यक्ष था। जहां तक महिला के आदर का सवाल है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये तो हमारे साथ महिला विधायक हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वह दलगत राजनीति वाली बात नहीं कर रहा और न इसमें किसी दलगत राजनीति का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की यदि कोई आम महिला भी हो तो उसका भी पूरा मान-सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा कि चाहे कोई कांग्रेस पार्टी का हो या कोई भी हो यदि वह महिला के साथ दुर्व्यव्हार करेगा तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी की कोई हमदर्दी नहीं है, उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जायेगा। यहां पर मुख्य मंत्री ने बोलते हुए नाम लिया और यहां पर चर्चा की कि कौन हमारे में से मुख्यमंत्री बनेगा ? इस संबंध में मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस विधान सभा के एक सदस्य चौधरी लाल सिंह जी रहे हैं। वे 2-3 दफा चुनाव जीते भी हैं। चौधरी जगजीत सिंह टिक्का जी उनके मुकाबले चुनाव लड़ते थे। जब तीसरा चुनाव हुआ तो चौधरी लाल सिंह जी से किसी ने पूछा कि अब की बार कौन जीतेगा तो उन्होंने उस वक्त जवाब दिया कि जीतेगा कौन यह तो पता नहीं लेकिन टीका जगजीत सिंह हारेगा जरूर। अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब को बताना चाहता हूं कि ये बनेंगे या मैं बनूंगा, लेकिन ये जरूर जाएंगे। धन्यवाद।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर साहब, न ये बनेंगे, न भजन लाल जी बनेंगे, बल्कि जिन्दल साहब बनेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार गिराती है। जनता ने हमें 5 साल के लिए अवसर दिया है। 5 साल तक तो मैं न इनके कांढे कढूं और न उनके कांढे कढूं। 5 साल के बाद भी अगर इनके यही कुकर्म रहे तो हम फिर आएंगे। शायद कृष्णपाल जी को पूरी बात का ज्ञान नहीं था। (विघ्न) आपके बनने के बाद तो आपने महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया है। मैं यह बात समझ नहीं पाया था कि आपने तो महिलाओं की तरक्की करवाई है। दिल्ली की महिला पार्षद ने पुरुष पार्षद को मारा है।

श्रीमति बीना छिब्बड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे माननीय साथी भजन लाल जी ने कहा कि अगर वह दोषी हुआ तो उसको दण्ड दिया जाएगा। इस का मतलब यह हुआ कि सदन के अन्दर मैं अपनी बात रख रही हूं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं ? क्या किसी महिला को आनन्द आता है कि वह किसी से मार-पीट खाए ? अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत वर्षों से राजनीति के साथ जुड़ी हुई हूं और मुझे अपने कांग्रेसी साथियों के प्रति बड़ा दुख है। भले ही यह कोई और बात मुझे कह लेते लेकिन मैं इनकी इस बात को कण्डम करती हूं। यह इतनी बात कह देते कि बहन जी आपके साथ जो हुआ है वह ठीक नहीं हुआ। मेरे भाई चौधरी धर्मबीर सिंह जी दो वर्ष से हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे भाई कैप्टन साहिब शिवानी काण्ड की बात ले आए। ये लोग नैना को इतनी जल्दी भूल गए और शिवानी की याद आ गई लेकिन मैं तो आपके समक्ष बैठी हुई हूं और अपनी बात कह रही हूं लेकिन ये लोग मेरी आबरू का तो कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं लेकिन दिल्ली की बात उठा रहे हैं। भाई साहब आप क्या कहेंगे ? अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि कोई भी महिला हो लेकिन मैं तो इनकी साथी हूं और हाउस के सामने अपनी व्यथा बता रही हूं। आपके जिला के पूर्व पार्षद हरीश सासन ने क्या किया ? मेरी बहन अनीता जी बोली हमें क्या कहती हो आप सरकार से कहो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अभी बलदेव नगर कैम्प में ही थी कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं सिविल अस्पताल पहुंच गए तथा पूरा का पूरा प्रशासन सजग हो गया। इन लोगों ने उसको छुपा कर गुमराह कर दिया। इनका वह आदमी छिपकर तथा सरदार का भेष बना कर आया। वह आदमी झूठा था अगर वह सच्चा होता तो सब के सामने आता। 15 दिन के बाद वह सरदार के भेष में छिप कर आया और वहां पर जो इनकी महिला नेत्री हैं और हमारी वकील हैं, उसका ड्राईवर उसको कार में लेकर आया। अध्यक्ष महोदय, अपराधी को छिपाना भी बहुत बड़ा अपराध है। माननीय हुड्डा साहब हरीश सासन के घर पर गए, अपराधी की पीठ थपथपाने के लिए हुड्डा साहब उनके घर पर गए। मेरा सिर फूट जाता और 20-25 टांके लगते क्या इनकी तसल्ली तभी होनी थी। उन्होंने मुझे पानी में भिगो दिया। इन्होंने कहा कि बहन जी को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या मैं मर जाती तभी कांग्रेस के लोगों को सन्तोष होता ? इसलिए मैं कहती हूं कि महिला सब की सांझी है। सब की बेटी, सब की बहन के नाते मुझे बहुत दुख है। अनीता जी कहती हैं कि सरकार को बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तथा प्रशासन ने पूरा काम किया। मेरे सभी साथियों ने आ कर मुझे ढांढस बंधवाया। हुड्डा साहब के ऊपर मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये अम्बाला गए और अम्बाला के अन्दर दोषी की पीठ थपथपाई लेकिन जो बहन दुखी और व्यथित है उसके पास नहीं गए। अगर वे मेरे घर आ जाते तो मेरा भी मनोबल बहुत बढ़ जाता कि ये एक बहन का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बिल्कुल सच कह रही हूं

[श्रीमति वीना छिब्बड़]

कि मुझे दो बार पानी के अन्दर डुबोया तथा छतरियों से मेरे ऊपर वार किया (विघ्न) बहन जी, आप इस बात को छोड़िये, आप भी महिला है। हम नहीं चाहते कि किसी बहन अथवा महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला पार्षद का वाक्या बताती हूं। हमारी अम्बाला शहर के अन्दर सन्तोष जैन कांग्रेस की महिला पार्षद थीं। महिला दिवस के दिन इन्हीं के कांग्रेसी पार्षद ने उसकी चप्पलों के साथ पिटाई की थी। उस समय मैं तो बी०जे०पी० में थी लेकिन महिलाओं की दो बसें भरकर मैं डी०सी० के ऑफिस में गई थी और उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था तथा डी०सी० साहब को ज्ञापन भी दिया था। महिला का सम्मान पहले है पार्टी बाद में है। यह मैं बता देना चाहती हूं कि किसी महिला का अपमान करना बहुत महंगा पड़ेगा। कभी ये लोग कहते हैं कि इस बात को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। वह मुर्गियां और अण्डे बेचता है मेरे साथ उसकी क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है। इस तरह का कोई राजनीतिक रंग मैं नहीं दे रही हूं। मैं यह चाहती हूं कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो और मेरे साथ जो हुआ है मुझे पूरा न्याय मिलना चाहिए इसीलिए मैंने यह बात सदन के अन्दर रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का पुन: धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया तथा मुझे ढांढस दिया तथा यह आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा वह बच नहीं पाएगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं अम्बाला गया था और क्यों गया था, मैं भी वहां पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए ही गया था। मुझे यह खबर मिली थी कि उनकी बीवी, उनकी बहन और उनके और रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस झूठे केस दर्ज कर रही है। अपराधी कोई भी हो यह अलग बात है लेकिन किसी भी महिला के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो राजनीति से ऊपर हो कर काम होगा और उस महिला की सुरक्षा और रक्षा करनी होगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हुड्डा साहब, अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती वीना छिब्बड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूं कि अगर वे महिलाएं थीं तो क्या मैं महिला नहीं थी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, आप इस वक्त सदन में विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के नाते आपकी जिम्मेवारी इस सदन में बढ़ जाती है। सर्वप्रथम आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आया एफ०आई०आर० में किसी महिला का नाम है या नहीं ? आप उस आदमी के घर में महिलाओं को सांत्वना देने चले गए। आप हमारी इस बहन के घर जाते तो कुछ बात बनती। वैसे आपको कैसे पता चला कि वहां पर किसी महिला के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हुई है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुझे किसी का फोन आया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कैप्टन जी आप बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहूंगा कि यह अनियमितता है कि नहीं ? चौधरी भजन लाल जी ने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिख कर भेजा कि हमारी पार्टी की तरफ से सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को नामजद किया है। क्या यह जनतांत्रिक तरीका है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि भजन लाल जी ने एक बात को माना कि ये हमारे नेता है। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप यह बताएं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी आपके सदन में नेता है कि नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात मुझे कही है मैं उसको पूरा कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। भजन लाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसको रिकार्ड नहीं किया जाए।

चौधरी भजन लाल : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। राम किशन जी, आप बोलें आप क्या बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है इसलिए आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, जो हमारी बहन के साथ हुआ वह बहुत ही निन्दनीय है। इसके अलावा जो भजन लाल जी ने न्याय मिलेगा वाली बात की है तो मैं इस बारे में एक बात बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, यों बात नहीं होगी मुझे अपनी बात कहने दो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसी महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं जो कि इटली की महिला है। अब इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लोग एक इटली की महिला को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात कर रहे हैं आपको इनकी इस बात को कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये एक इटली की महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं इससे बड़ा अन्याय क्या होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप भी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) ये जो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह : * * * * * ।

श्री भजन लाल : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने तो उस बात के लिए सोनिया गांधी का धन्यवाद भी किया था।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। (विघ्न) कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप बैठें। (विघ्न) कैप्टन साहब, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप इस बात पर अपनी रूलिंग दें कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है क्या उसका नाम यहां पर लिया जा सकता है ? वे विपक्ष की सम्मानित नेता हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उनका नाम लिया गया है। कृपया आप इस बारे में अपनी रूलिंग दें। आप उनका नाम कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम नहीं लिया है। फिर भी अगर उनका नाम लिया गया है तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हुडा साहब विपक्ष के नेता हैं। हमारी साथी श्रीमती वीना छिब्बड़ के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है और जिस तरह से इस बारे में अखबारों में भी छपा है अध्यक्ष महोदय, उससे आप भी आइडिया लगाएं। हमारे परिवार समाज में, देहात में रहने वाले परिवार हैं और पार्टी भी एक परिवार ही होती है। अगर उस परिवार का कोई सदस्य गलती कर देता है तो उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वह उस गलती को कबूल कर लें और आईन्दा से अपने परिवार को संभाले। (विघ्न)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर साहब, वीना छिब्बड़ जी के साथ जो व्यवहार अम्बाला में हुआ है उसको कैप्टन साहब नाटक कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप बैठिए। उनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विघ्न) गुर्जर साहब, आप बैठें। कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (विघ्न) बलबीर सिंह जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें। (विघ्न) बहन जी आप बैठ जाइए। बहन सरिता जी व अनीता जी आप दोनों बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्वाइंट को खत्म करिए। हमने कह दिया है कि हमें इस बात का बहुत अफसोस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अम्बाला में उन अपराधियों के घर गए हैं जिन्होंने वीना जी की पिटाई की है। ये अपराधियों के घर जाकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इससे स्पष्ट जाहिर है कि एक तरफ तो बहन जी

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की पिटाई की है और एक तरफ उनके नेता को यह मान लेने में ऐतराज है। (शोर एवं व्यवधान) महिला सोनिया गांधी भी हैं और महिला वीना छिब्बर जी भी हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह गुंडागर्दी ये ही कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इससे सरेआम बदमाशी को बढ़ावा मिलता है। अगर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अम्बाला गए हैं उस दोषी के घर गए हैं जिसने यह जुल्म किया है तो हाउस में हुड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : बलबीर जी, मैं आपसे ज्यादा महिलाओं का मान सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने यह किया है आप उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज कराओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलबीर जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में छपा है * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा काम रोको प्रस्ताव आया था, उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है, कृपया मुझे बताया जाए।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, उसको कालिंग अटैंशन में कवर्ट कर दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा काम रोको प्रस्ताव पहले आया था, इनका बाद में आया है इसलिए इस प्रकार की * * * * * नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : अनपार्लियामैंटरी शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। राजेन्द्र सिंह बिसला, आपका और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तीनों का कालिंग अटैंशन क्लब कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में अपनी रूलिंग दें कि इनका कालिंग अटैंशन मोशन आपको कब मिला और मेरा काम रोको प्रस्ताव आपको कब मिला।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, राजेन्द्र सिंह बिसला का कालिंग अटैंशन मोशन 20 तारीख को आया है और आपका काम रोको प्रस्ताव 22 तारीख को आया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप ओथ लेकर कह सकते हैं कि इनका पहले आया है ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। जितना दिमाग आप में है उसका मुझे पता है, आपको याद तो रहता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) बिसला जी, आप अपना नोटिस पढ़ें।

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, I want to draw the attention of this august House towards an important matter of recent occurrence regarding the situation, which has arisen on account of drought in the State of Haryana particularly.

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वाक आऊट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में छपा है *********

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये एक अहम मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, इसलिए इनको दो मिन्ट का समय बोलने के लिए दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपने 20 मैम्बर पर काबू रखें, जब आप इसको 21वां मैम्बर बना लोगे तो इसको बोलने का समय दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *********

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए। मुझे लगता है आप वाक-आऊट करेंगे। आपने इस बारे में लिखकर तो कुछ नहीं दिया, केवल अखबार उठाए हुए फिर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) बिसला जी, आप कंटीन्यू करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, अगर आप मुझे अपनी बात कहने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आऊट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में सूखे की स्थिति सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, अपना काल अटैंशन मोशन पढ़ दें।

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, I want to draw the attention of this august House towards an important matter of recent occurrence regarding the situation which has arisen on account of drought in the State of Haryana particularly in the southern part of Haryana. As we are aware, there is acute shortage of rainfall in our country particularly in the Haryana State on account of which the crops have been damaged causing a loss to the farmers and a great shortage of fodder in the State. Besides other things, people are facing a great problem of drinking water also.

Keeping in view the urgent public importance of the matter he requests the Government to make a statement on the floor of the House in this regard.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इससे संबंधित जितने भी नोटिस हैं वे सारे इसी में क्लब कर दिए जायें।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : जैसे कि मैंने पहले बताया है, सूखे के बारे में सर्व श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, भजन लाल, कैप्टन अजय सिंह यादव, डाक्टर रधुबीर सिंह कादियान, शादी लाल बतरा और जितेन्द्र सिंह मलिक ने काम रोको प्रस्ताव दिया था और श्री कर्ण सिंह दलाल ने कालिंग अटैंशन मोशन दी थी। ये दोनों प्रस्ताव बिसला जी के कालिंग अटैंशन मोशन के साथ क्लब कर दिये गये हैं। अत: ये सभी सदस्य मंत्री जी के बाद सूखे के बारे में एक-एक क्वैश्चन पूछ सकते हैं।

वक्तव्य-

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मानसून वर्षा खरीफ की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु चालू खरीफ मौसम के जून/जुलाई महीने में पूरे राज्य में छुट-पुट वर्षा हुई जो कि सामान्य वर्षा से निम्न विवरण अनुसार 45 से 93 प्रतिशत कम रही। मानसून के असफल हो जाने से खरीफ की फसलें कई प्रकार से प्रभावित हुई हैं। काफी क्षेत्र बिना बिजाई के रह गया है और जिन क्षेत्रों में बिजाई हुई वहां भी फसलों की स्थिति बिल्कुल खराब है, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में कमी होगी :-

(आंकड़े मिली मीटर में)

मास	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	अन्तर (प्रतिशत)
जून	48.3	26.7	–45
जुलाई	186.3	13.43	–93
अगस्त	167.2	67.51	–60

2, खरीफ मौसम में निर्धारित बिजाई लक्ष्य 27.96 लाख हैक्टेयर की तुलना में 19.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ही दिनांक 8-8-2002 तक बिजाई हो सकी और 8.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बिना बिजाई के रह गया। तदानुसार दिनांक 8-8-2002 को सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण राज्य को सरकारी तौर पर सूखा से प्रभावित घोषित किया गया था। दिनांक 13 व 14 अगस्त व मास के अन्त में अच्छी वर्षा के फलस्वरूप जिला अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, झज्जर तथा सोनीपत व गुड़गांव के कुछ हिस्से में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। यह सूचित किया गया है कि 45,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में धान की रूपाई हुई है और 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में चारा फसल की बिजाई हुई है।

3. खड़ी फसलों में हुई हानि का क्षेत्र एवं फसलवार मात्रा भिन्न-भिन्न है। सबसे अधिक प्रभावित फसलें बाजरा, गवार, खरीफ दलहन व खरीफ तिलहन हैं क्योंकि यह फसलें मुख्यतया दक्षिण-पश्चिम हरियाणा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में बोई जाती हैं। कृषि विभाग के फौरी अनुमान अनुसार 4.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है, 3.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा 9.69 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। बागवानी की फसलों में भी 25 से 75 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। सब्जियों के अन्तर्गत 22,265 हैक्टेयर क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का अनुमान है जबकि 16865 हैक्टेयर क्षेत्र में

[श्री धीरपाल सिंह]

25 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। परन्तु व्यक्तिगत क्षेत्र में फसलों के नुकसान की वास्तविक स्थिति विशेष गिरदावरी रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगी जो कि संकलित की जा रही है।

4. सुखे की स्थिति से दुधारू पशुओं की उत्पादकता, प्रजनन एवं रोग निरोधक शक्ति पर विपरीत असर हुआ। जिसके दृष्टिगत पशु विशेष स्वास्थ्य देखभाल कैम्प तत्काल आयोजित किये जा रहे हैं और यह सूखा से प्रभाव कम होने तक जारी रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिये दवाईयां इत्यादि खरीदने हेतु अब तक 3.00 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। गांवों के तालाबों में पशुओं के पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। जिसके लिए गांवों के तालाबों को काम के बदले अनाज प्रोग्राम के तहत खुदवाने के विशेष उपाय किये गये थे और उन्हें पानी से भरवाया गया।

5. सम्पूर्ण आंकलन करने उपरान्त उपायुक्तों ने सूचित किया है कि राज्य में फिलहाल चारे की कोई कमी नहीं है। फिर भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में कम वर्षा होने के कारण इन जिलों को चारा की आवश्यकता के लिए दूसरे जिलों के साथ सम्बद्ध किया गया है।

6. मानसून आने मे अभूतपूर्व देरी और गर्म हवाएं जारी रहने के कारण बिजली की मांग में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष खरीफ मौसम में बिजली की मांग में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा उत्तरी ग्रिड सहित अन्य सभी स्रोतों से अधिकतम बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इस वर्ष सप्लाई की गई बिजली का पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने से स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 के मास अप्रैल से अगस्त तक 367 लाख युनिट प्रतिदिन थी, वर्ष 2001-02 में 475 लाख युनिट प्रतिदिन तथा इस वर्ष 2002-03 में 551 लाख युनिट प्रतिदिन थी जो वर्ष 1998-99 की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। इसके ठीक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :-

औसतन बिजली सप्लाई प्रति-दिन (लाख युनिट)

मास	1998-99	2001-02	2002-03	वर्ष 1998-99 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी	वर्ष 2001-02 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी
अप्रैल	334	384	440	32	15
मई	364	423	498	37	18
जून	394	490	556	41	14
जुलाई	424	538	624	47	16
अगस्त	422	565	633	50	12
औसत	367	475	551	50	16

7. पिछले वर्ष 613.75 लाख युनिट बिजली सप्लाई रिकार्ड के विरुद्ध दिनांक 20-8-2002 को 698 लाख युनिट बिजली सप्लाई करके राज्य द्वारा दूसरा कीर्तिमान स्थापित

किया गया। पिछले वर्ष दिनांक 29-8-2001 को 2900 मैगावाट पीक लोड की तुलना में इस वर्ष दिनांक 22-7-2002 को 3325 मैगावाट पीक लोड रिकार्ड किया गया।

8. कृषि क्षेत्र को अधिक हिस्सा मिला है जहां कि वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक बढ़ोतरी 33 प्रतिशत हुई है जो कि वर्ष 1998-99 में औसतन 184 लाख युनिट प्रतिदिन की अपेक्षा 2001-02 में 244 लाख युनिट प्रतिदिन वितरित की गई थी जबकि 2002-03 में 286 लाख युनिट प्रतिदिन वितरित की गई है। आपसी मिलान के आंकड़े निम्न प्रकार है :-

औसतन बिजली सप्लाई ग्रामीण क्षेत्र (लाख युनिट प्रति-दिन)

मास	1998-99	2001-02	2002-03	वर्ष 1998-99 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी	वर्ष 2001-02 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी
अप्रैल	156	177	196	26	11
मई	177	195	236	34	22
जून	201	244	283	41	16
जुलाई	221	283	345	56	22
अगस्त	224	307	364	63	19
औसत	184	244	286	55	17

9. किसानों को ट्यूबवैल चलाने के लिये 7 घण्टे प्रतिदिन बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके अतिरिक्त रोशनी के लिये बिजली प्रतिदिन 10-11 घण्टे दी जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष सप्लाई की जा रही बिजली के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में बिजली सप्लाई में काफी वृद्धि हुई है। बिजली सप्लाई के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :-

आंकड़े लाख युनिट प्रति दिन

अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त	
2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
384	440	423	498	490	656	538	628	565	633

10. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त बिजली खरीदने के असाधारण प्रयत्न किये गये हैं। हाल ही में मलाना हाईड्रोलिक प्रोजैक्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, से बातचीत द्वारा 68 मैगावाट बिजली प्राप्ति के फलस्वरूप राज्य में दिनांक 5-7-2002 से प्रतिदिन 17-18 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हुई है। साथ-साथ राज्य के अपने फरीदाबाद तथा पानीपत थर्मल पावर स्टेशनों में भी विशेष मुरम्मत तथा रख-रखाव करके बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है।

11. राज्य द्वारा उत्तरी ग्रिड से प्रतिदिन 80-100 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जा रही है जोकि औसत रेट से ज्यादा महंगी है। सरकार द्वारा पावर यूटीलिटी को निर्देश दिये गये

[श्री धीरपाल सिंह]

हैं कि सभी बिजली उत्पादन स्रोतों का पता लगाकर बिजली उपलब्धता को बढ़ाया जाये और मानसून देरी से आने के कारण किसानों को सिंचाई के लिये अधिक से अधिक बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता की जाये।

12. अगस्त 2002 तक 28 नये ग्रिड सब स्टेशन तथा 122 उप स्टेशन स्थापित करके बिजली ट्रांसमिशन तथा वितरण सिस्टम को बड़े स्तर पर सुदृढ़ किया गया है। उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये 15000 से अधिक वितरण ट्रांसफारमर्ज़ और लगाये गये हैं।

13. पावर सैक्टर द्वारा किये गये प्रयत्नों से अच्छे परिणाम मिले हैं जिससे कृषि क्षेत्र को सूखे की अवधि में नियमित बिजली सप्लाई की जानी सम्भव हो सकी।

14. सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यक सेवाएं जैसे पीने का पानी, तालाब भरने तथा सिंचाई उद्देश्य के लिये अधिकतम नहरी पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष जल आपूर्ति का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

मास	*एच०सी०पी० पर (क्यूसिक में)		ताजेवाला हैड पर पश्चिमी यमुना नहर (क्यूसिक में)	
	2001	2002	2001	2002
अप्रैल	3847	8066	2535	4293
मई	6371	9568	3256	5896
जून	7088	9683	3992	4805
जुलाई	7764	9246	9413	6039
अगस्त	9019	8482	11819	10374

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नो-नो, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप उन्हें अपनी स्टेटमैंट तो पढ़ने दो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) *** *** ***

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, you are not permitted आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए आप बैठें। (विघ्न) आपको प्रोसीजर का तो पता होना चाहिए। (विघ्न) आपको प्रोसीजर का तो कोई पता ही नहीं है (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी स्टेटमैंट दे रहे हैं उन्हें स्टेटमैंट तो देने दें (विघ्न) अब इनको कौन समझाए (विघ्न) आप रूल 73 का (ii) पढ़ें इसमें दिया हुआ है—

There shall be no debate on such statement at the time...

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक आदेश पारित किया गया और मैं 17.00 बजे उसका स्वागत करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुडा जी आप रूल 73 की क्लाज (ii) पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा : अध्यक्ष महोदय, यह हमने पढ़ लिया है आप हमें बोलने का समय दें।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी जी को यह बताना चाहूंगा कि हाउस की प्रथा रही है कि जिन-जिन साथियों ने इस बारे में लिखकर दिया है उन सबको इस बारे में एक-एक सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप अपना उत्तर पढ़ें।

श्री धीर पाल सिंह : ठीक है जी, मैं अपना जवाब पढ़ता हूं।

15. सिंचाई विभाग द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिये जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है :-

(क) आवश्यक सेवायें जैसे मनुष्यों तथा पशुओं के लिये पीने का पानी। जोहड़ भरने तथा वाटर वर्कस के लिये जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। आवश्यक जल आपूर्ति में कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) समस्त राज्य में पूर्व निर्धारित नहरी शड्यूल अनुसार फसलों के लिये पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष माखड़ा से अधिक सप्लाई की गई ताकि मानसून देरी से आने के प्रभाव को दूर किया जा सके।

16. सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित रिलीफ कार्य किए गए हैं :-

1. पेयजल की मूल आवश्यकता को सुचारू बनाने के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान 265 कम गहराई वाले लगाए गए नलकूप बहुत लाभदायक रहे हैं। इनमें से 109 नलकूप राज्य के दक्षिणी भाग में लगाए गए हैं।

2. राज्य के दक्षिणी भाग में पेयजल स्रोतों में वृद्धि के लिए 24 पंचायती नलकूप और 25 पंचायती कुएं अपनाये गये हैं।

3. पेयजल की उपलब्धता में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 183 अतिरिक्त नलकूप लगाए गए हैं। इनमें से 105 नलकूप दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में स्थित हैं।

4. शहरी क्षेत्रों व दूर दराज के गांवों में जहां भू-जल खारा है और नहरी पानी की उपलब्धता भी कम हो गई है ऐसे इलाकों में क्लोरीनेशन करके टैंकरों द्वारा पेयजल दिया जा रहा है। शहरी व ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2002 से अब तक टैंकरों द्वारा 7300 से अधिक चक्कर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 7057 चक्कर राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित गांवों व शहरों में लगाए गए हैं।

[श्री धीरपाल सिंह]

17. राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :-

(क) खरीफ फसल-2002 का आबियाना माफ किया गया है।

(ख) सहकारी अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया गया है।

(ग) जहां खरीफ फसल में खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक पाया जायेगा, वहां के कृषि नलकूपों के बिजली के बिल 6 मास के लिए स्थगित किए जाएंगे।

(घ) विशेष गिरदावरी 5-8-2002 से 20-8-2002 तक करवाई गई है। विशेष गिरदावरी के परिणाम प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड अनुसार राहत प्रदान कर दी जाएगी।

(ङ) विभिन्न विभागों को तत्काल राहत के लिये 16.00 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि (करोड़ों में)
1.	कृषि विभाग	वैकल्पिक फसलों के बीजों तथा जिप्सम के लिए	3.00
2.	जन-स्वास्थ्य विभाग	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने बारे	8.00
3.	पशुपालन विभाग	पशुओं की दवाईयां खरीदने के लिए	3.00
4.	स्वास्थ्य विभाग	दवाईयां खरीदने के लिए	2.00
		योग :	16.00

18. राज्य में सूखा की स्थिति और इसके प्रभाव को उचित ढंग से नियन्त्रित करने का मामला पहले ही भारत सरकार के साथ टेक अप किया हुआ है। जिसमें 1107.63 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 9.52 लाख मी० टन गेहूं की भी मांग की गई है।

19. उपरोक्त के दृष्टिगत में इस महान सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार राज्य में सूखे की स्थिति से पूरी तरह जागरूक है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आज सुबह बी०ए०सी० की मीटिंग में भी यह बात हुई थी कि ड्राउट पर बोलने के लिए हर मैम्बर को बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपका एडजर्नमैन्ट मोशन कालिंग अटेंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया गया है। अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, सूखे के बारे डिस्कशन में अगर कोई मैम्बर बोलना चाहता है तो वह पार्टीसिपेट कर सकता है। बी०ए०सी० की मीटिंग में भी यह बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपका सूखे के बारे में जो मोशन था उस पर केवल सात मैम्बर्ज के ही दस्तखत हैं इसलिए अब वे मैम्बर्ज ही सूखे की डिस्कशन पर सप्लीमैंटरी करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, सूखे पर तो सब मैम्बर्ज बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सब मैम्बर्ज के तो इस मोशन पर दस्तखत नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सबके दस्तखत नहीं हैं तो कोई बात नहीं लेकिन सब मैम्बर्ज सूखे की डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं। पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है इसलिए आप सभी मैम्बर्ज को इस डिस्कशन में भाग लेने दें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब आप बैठें। आपको बोलने का मौका मिलेगा। भजन लाल जी को भी बोलने का मौका मिलेगा। जितेन्द्र सिंह मलिक भी सूखे के ऊपर जो डिस्कशन होगी, उस पर बोल सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, प्रजातंत्र में हाउस की मर्यादा रखी जाती है लेकिन यहां पर तो हाउस का गला घोटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठें। अभी मंत्री जी ने इस बारे में एक स्टेटमैन्ट दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से हमारी आवाज दबा दी जाएगी। सूखे पर सब मैम्बर्ज को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सभी मैम्बर्ज चुनाव लड़कर और जीतकर यहां पर आए हैं और वे अपने-अपने क्षेत्रों की बात यहां पर कहना चाहते हैं इसलिए आप सभी मैम्बर्ज को यहां पर बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, बगैर चुनाव जीते असैम्बली के अंदर नहीं आया जा सकता। यह तो ईम्पलायड है, यह तो फैक्ट है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप हमारे राईट को प्रोटैक्ट करने के लिए अध्यक्ष हैं। बी०ए०सी० की मीटिंग में भी यह बात हुई थी कि सभी सदस्यों को सूखे पर बोलने का मौका दिया जाएगा। स्पीकर साहब, यह बात हुई थी कि जो भी सदस्य चाहे वह जितनी भी देर बोलना चाहें उनको पूरा समय बोलने के लिए दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब आप बैठें। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, अगर आप यह कहें कि सूखे पर सभी मैम्बर्ज को बोलने का मौका मिलेगा तो हम बैठ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो सिगनेटरीज हैं वे ही बोलेंगे। इसलिए अब आप बैठिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : लेकिन स्पीकर साहब, सूखे पर तो हर मैम्बर बोलना चाहता है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार सदस्य सदन में बैठे हैं। इनको रूल्ज के मुताबिक पता होना चाहिए कि कालिंग अंटेशन मोशन पर केवल वहीं लोग अपने

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सवाल पूछ सकते हैं जिनके उस पर सिगनेचर हैं या जिन्होंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है। इनको तो अध्यक्ष महोदय का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने सबको अलाऊ कर दिया वरना कायदे कानून के मुताबिक एक ही मोशन अलाऊ किया जाता है जबकि अध्यक्ष महोदय ने तो सबको क्लब कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सबको मौका दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल : आप बताएं कि सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा या बोलने का मौका दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। यही तो रूल्ज में है। अध्यक्ष महोदय, इनके पास कुछ कहने को तो होता नहीं। ये तो वाक आउट करने पर ज्यादा जोर देते हैं। हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये भागेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप इनको रूल्ज समझा दें। ये बाहर तो अखबारों में बयान दे देते हैं लेकिन सदन में इनकी घिग्गी बंध जाती है। इसलिए ये यहां पर हाउस का समय बर्बाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाउस के कायदे कानून बने हुए हैं इसलिए ये कानून की उल्लंघना कैसे करेंगे ? ये रूल्ज विधान सभा ने ही बनाए हुए हैं।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, हम गैर कानूनी बात नहीं करना चाहते लेकिन प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है इसलिए हमारा कहना यही है कि सूखे की डिस्कशन पर सबको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। अब बिसला की अपना सवाल पूछेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : स्पीकर सर, मेरे इस कालिंग अटेंशन मोशन का रिप्लाई देते हुए आदरणीय मंत्री जी ने बताया है। (विघ्न) भजन लाल जी, मैंने यह मोशन मूव किया है इसलिए मैं इस पर अपने सवाल पूछने के लिए एनटायटल्ड हूं मैं सवाल पूछ सकता हूं।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रूल्ज में ऐसा प्रोविजन नहीं है ठीक है रूल्ज में ऐसा नहीं है लेकिन यह भी अन प्रेसीडेन्टिड है कि इतना भारी अकाल जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर आज तक नहीं पड़ा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सूखे पर डिबेट में सभी मैम्बर्ज को बोलने का टाईम दें।

श्री अध्यक्ष : आप यहां पर तो बोलते हैं लेकिन मोशन पर दस्तखत करते नहीं हैं। आप दस्तखत करने में भी कंजूसी करते हो।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, एडजर्नमैन्ट मोशन पर चाहे एक आदमी के दस्तखत हों या सात आदमियों के दस्तखत हों लेकिन सब मैम्बर्ज इस पर बोल तो सकते हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले हम यह जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपने फैसला क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप भी बैठ जाइए।

वाक-आउट्स

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी ऐडजर्नमैंट मोशन काल अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दी है और उस पर भी आप हमारे सभी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐज ए प्रौटैस्ट हन सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए।)

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के दो एम०एल०ए० बोल सकते हैं जिन्होंने साइन किये हैं। आप लोग सप्लीमैंट्री पूछिए। भूमिका बनाकर आप पूछ सकते हैं। सात सदस्यों को बोलने का मौका दिया है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह सांगवान बगैर परमीशन लिये हुए बोल रहे हैं, इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। बिसला जी, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने बताया है कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाकआउट करता हूं।

(इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन में उपस्थित एक मात्र विधायक श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाकआउट कर गए।)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के दो विधायक कैप्टन अजय सिंह व डॉ० रघुबीर सिंह कादयान वाकआउट करके नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह वाकआउट करके नहीं गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह : हम वाकआउट करके गए थे फिर वापस आ गए हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : दोबारा वापस आए हैं। वाकआउट करके गए थे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। नहीं तो आपके लिए डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

वक्तव्य

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ******** ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइए, ये बगैर परमिशन बोल रहे हैं इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए, आपको सप्लीमैंटरी का मौका दिया जाएगा, आप तीन बार मैम्बर बन कर आ

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

थुके हैं फिर भी आपको समझ नहीं आई। (शोर एवं व्यवधान) ये मेरे से सीनियर हैं या जूनियर हैं। इस्तीफा * दे दे या मैं दे दूंगा। सीनियोरिटी का वहम है तो निकाल ले।

कैप्टन अजय सिंह यादव : क्या इनको * कहने का अधिकार है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, स्पीकर साहब को * कहने का अधिकार है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपने स्पीकर की बेइज्जती की है, आप चेयर का सम्मान करना नहीं जानते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : ले लीजिए एक्शन।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। ये जो अनपार्लियामैन्टरी शब्द कहे गए हैं, उन्हें रिकार्ड न किया जाये।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह कादियान की कोई बात रिकार्ड न की जाए। आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण कालिंग अटैंशन नोटिस पर सारगर्भित वक्तव्य दिया है। सरकार ने पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ किस प्रकार से सारे प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है, इस बारे में सरकार के सारे प्रयासों के बारे में सदन को अवगत कराया है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा चूंकि अध्यक्ष महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा के लिए यह गौरव की बात है, हरियाणा जहां अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं और उपलब्धियों के लिए माना जाता है, पशुधन के लिए हमारा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर आता है। हरियाणा में दुधारू पशु जैसे गाय-भैंसें न केवल देश में बल्कि देश से बाहर भी भेजी जाती हैं। जहां-जहां सूखे का प्रभाव है वहां यह अनुभव किया गया है कि चारे की कमी होने की वजह से चारा बहुत ज्यादा मंहगा हो गया है जो कि पशु पालक की आर्थिक क्षमता के बाहर है। 100 रुपये क्विंटल से ऊपर भूसे का रेट हो गया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है और प्रश्न भी है कि जो गरीब आदमी, पशु पालक गांव में हैं, वे मजबूर होकर अपने पशुओं को बेच न दे और मिल्क की प्रोडैक्शन क्षमता कम न हो, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें जोर दिया जाए। दूसरा इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जहां-जहां गन्ने की फसल होती है, वहां भी बारिश न होने की वजह से किसानों पर बड़ी मारी मार पड़ी है। जहां गन्ना आज 6-7 फुट से ऊंचा होना चाहिए वहां गन्ने की ऊंचाई बहुत कम है, जितना भी शुगरकेन ग्रोइंग ऐरिया है वहां अब जितनी भी बिजली और पानी दिया जाए फिर भी नवम्बर-दिसम्बर तक गन्ना अपने साइज का नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे इन दोनों सुझावों पर ध्यान दिया जाए ताकि प्रभावित किसानों को सहायता दी जा सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है जिन्होंने भी सप्लीमैंटरी देनी है वे अपनी-अपनी सप्लीमैंटरी दे दें मंत्री जी उनका इकट्ठा जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप सभी की सप्लीमैंटरीज नोट कर लें। उसके बाद जवाब दे दें।

सदस्य का निलम्बन

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अभी 2-4 मिनट पहले जिस तरीके का व्यवहार हमारे आदरणीय साथी कैप्टन साहब का रहा है विशेषकर चेयर के प्रति। वे बड़े अशोभनीय शब्द कह रहे थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। इन शब्दों को देखते हुए ये इस लायक नहीं हैं कि ये विधानसभा की सिटिंग में बैठ सकें। इस बारे में मैं एक प्रस्ताव आपके सामने लाना चाहता हूं। स्पीकर की चेयर सुप्रीम चेयर है। अगर आपकी चेयर की कोई इज्जत नहीं करेगा तो यह अधिवेशन एक सैकेंड भी नहीं चल सकता। किसी भी पार्टी का मैम्बर हो चाहे रूलिंग पार्टी का मैम्बर हो, चाहे अपोजीशन का मैम्बर हो, सब का फर्ज बनता है कि चेयर की इज्जत करें और डैकोरम बनाये रखें ताकि पब्लिक इन्ट्रैस्ट की बातों को उठाया जा सके तथा सरकार उसका जवाब दे सके। हम सभी लोग आज हरियाणा की दो करोड़ से ऊपर जनसंख्या की सेवा के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और जनता की भलाई के लिए ही यह अधिवेशन बुलाया गया है और विपक्ष के साथियों ने भी कहा था कि अधिवेशन बुलाया जाये लेकिन ये लोग चेयर के प्रति अपना व्यवहार ठीक नहीं रखते। इसलिए मैं आपकी इजाजत से मोशन मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप अपना मोशन मूव करें।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That Capt. Ajay Singh Yadav be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the member of this august House and his grossly, disorderly, conduct in the House for the remainder sitting of this week.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Capt. Ajay Singh Yadav be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the member of this august House and his grossly, disorderly, conduct in the House for the remainder sittings of this week.

Mr. Speaker : Question is—

> That Capt. Ajay Singh Yadav be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the member of this august House and his grossly, disorderly, conduct in the House for the remainder sitting of this week.

The motion was carried.

वाक-आउट

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन अजय सिंह यादव की सस्पैंशन के अगेंस्ट एज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा० रघुबीर सिंह कादियान सदन से वाक आउट कर गये।)

वक्तव्य

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने की इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप कालिंग अटैंशन मोशन पर सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरे विधायकों ने भी कालिंग अटैंशन मोशन और काम रोको प्रस्ताव सूखे के बारे में दिया था इसलिए यह अकेले बिसला जी के नाम पर नहीं आना चाहिए था। इसमें मेरा भी और जिन दूसरे विधायकों ने दिया था उनका भी नाम आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आपने कालिंग अटैंशन मोशन 27-8-2002 को दिया था और आपका नाम इसमें जोड़ दिया गया है इसी कारण तो आप सप्लीमैंटरी पूछ रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल जी ने कालिंग अटैंशन मोशन पर सरकार की तरफ से जो जवाब दिया है उस पर मुझे बेहद अफसोस है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी पर ही आ रहा हूं। चौधरी धीरपाल जी बहुत सीनियर सदस्य हैं और ये कई बार मंत्री भी रहे हैं। आज जो सूखे की वजह से हरियाणा प्रदेश की हालत है वह सब जानते हैं कि हरियाणा के लोग सूखे से बहुत दुखी हैं। यह भी ठीक है कि सूखे की स्थिति कुदरत की देन होती है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जनता यह उम्मीद रखती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो मौजूदा सरकार है उनका साथ देगी और उनके बीच आकर उनके दुख, तकलीफों को देखेगी। लेकिन चौधरी धीरपाल जी ने सरकार की तरफ से जो जवाब पढ़ा है उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप सवाल पूछें। काफी देर से आप बोल रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सवाल नहीं पूछा। दलाल साहब प्लीज आप मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें आपको जो कमी महसूस हुई है उस बारे में पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, प्रदेश के लोगों के हित की ही बात कर रहा हूं। स्पीकर साहब, इनका कोई मंत्री और कोई अधिकारी सूखे के समय सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सहानुभूति के तौर पर किसानों से मिलने के लिए उनके गांवों में नहीं गया बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री जी कुछ विधायकों को लेकर विदेश के दौरे पर चले गए। अध्यक्ष महोदय, भारत के कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में पूरे भारत के राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मैंने अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा की तरफ से सूखे के बारे में कोई जानकारी भारत के कृषि मंत्री को नहीं दी गई। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या यह बात आप ऑन ओथ कह रहे हैं। क्या आप श्योर हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो जानकारी कृषि मंत्री जी जानना चाहते थे वह हरियाणा की तरफ से उन्हें नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : आप अखबारों की बात न करें। आप फैक्टस की बात करें। अखबारों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा इस बात को छोड़ें। आप केवल फैक्टस पर ही बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मीटिंग नहीं बुलाई। कृषि मंत्री जी ने जो बैठक 31 जुलाई को बुलाई थी उस मीटिंग को बुलाने से पहले सभी प्रदेशों को अपने अपने प्रदेशों की सूखे की स्थिति का आंकलन करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। उस मीटिंग में यह बात आई थी कि हिन्दुस्तान के राज्य अपने अपने राज्यों में किसानों की फसलों के लिए क्रोप इन्श्योरेंस स्कीम को लागू करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त कोई भी राज्य अपने स्तर पर सूखे की स्थिति से निबटने में सक्षम नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें सूखे की स्थिति में सरकारी खजाने से बहुत ज्यादा भरपाई यानि मदद नहीं कर पायेंगी। इसलिए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्राप इन्श्योरेंस स्कीम को लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने उस बैठक में सुझाव रखा कि इस स्कीम के अंतर्गत 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देगी और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकारें देंगी। (विघ्न) दक्षिणी राज्यों के बारे में भी उस बैठक में मामला उठा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दक्षिणी राज्य कौन से हैं, आप उनके नाम बताएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडू आदि हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, महाराष्ट्र दक्षिण में नहीं है, यह तो पश्चिम में है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चलो आपके लिए नहीं होगा लेकिन इस देश के लोगों के लिए दक्षिण में है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि यदि सरकार क्रोप इनश्योरेंस स्कीम लागू करती है तो उससे राज्य सरकार के सरकारी खजाने पर भी कम बोझ पड़ेगा। मेरा कहना यह भी है कि यदि आज हरियाणा में यह क्रोप इन्श्योरेंस स्कीम लागू होती तो लोगों के नुकसान की भरपाई अच्छी तरह से हो सकती थी। अब मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिनका मंत्री जी जवाब दें। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि इस सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों का आबियाना माफ करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा कहना है कि आगरा नहर का आबियाना माफ करने का इस जवाब में कोई जिकर नहीं है क्योंकि आगरा नहर यू०पी० सरकार की नहर है और जिला फरीदाबाद और गुड़गांव के किसानों को यू०पी० की सरकार आबियाना भेजती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन जिलों का आबियाना भी माफ करवाने पर विचार किया जाये ताकि वहां के किसानों को भी राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : आपकी यह बात ड्राउट के बारे में नहीं है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सूखे की वजह से बिजली के बिल स्थगित करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं कितने दिनों बाद यह सूखे की स्थिति आई है। इस सूखे की स्थिति के कारण किसानों की कमर टूटी हुई है। इस हालत में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसानों के बिजली के बिल स्थगित करने की बात न करें बल्कि उन्हें माफ करने की बात करें। इसलिए इस संबंध में मेरा पुन: अनुरोध है कि सूखे की हालत में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए बिजली के बिल माफ करने चाहिएं। यहां पर विशेष गिरदावरी का भी जिकर किया गया है। पहले हरियाणा सरकार ने 19 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

मुख्यमंत्री महोदय ने अखबारों के माध्यम से यह कहा कि हरियाणा के तमाम 19 के 19 जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं और इन तमाम किसानों को मुआवजा देंगे। अब इन्होंने उस बात से पलट करके विशेष गिरदावरी शुरु करवा दी। इस संबंध में मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि 5-8-2002 से 20-8-2002 तक के समय की गिरदावरी होगी। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री महोदय का ब्यान आया था तो उसके बाद तो किसानों ने अपने खेत जोत दिए यानि जो फसल उग नहीं रही थी उस खड़ी फसल को किसानों ने जोत दिया। आज जब पटवारी गिरदावरी करने जाता है तो किसानों के खेत में सूखे की वजह से फसल न होने की सूरत में पटवारी कहता है कि मैं तो इसकी गिरदावरी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई फसल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तमाम हरियाणा के लोगों की तरफ से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के हरियाणा के तमाम जिलों की गिरदावरी करवाई जाए। जिन किसानों ने इन 2-3 महीने के दौरान अपनी फसल बोई और सूखे की वजह से वह फसल नहीं हो सकी उन सबको मुआवजा दिया जाये। (विघ्न) यहां पर एक बात आई कि भारत सरकार के जो नार्म्ज हैं उसके मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। (विघ्न) मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के नार्म्ज तो उस समय के हैं जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। (विघ्न) इन विशेष हालात में हरियाणा के किसानों की हालत को देखते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि यहां पर किसानों को ज्यादा बिजली दे रहे हैं। जहां तक ज्यादा बिजली देने की बात है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को पूरी बिजली भी नहीं मिल पा रही। डाक्टर्ज ने तो मोमबत्ती लगा लगा कर आप्रेशन किए हैं। मेरे इलाके में पीने के पानी का मटका 15-15 रुपये में बिका है। पेपरों में भी यह बात आई है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप सही बात कहें। पेपर में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है वह तो लोगों ने पढ़ लिया।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस मैम्बर ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है क्या वह उस कालिंग अटैंशन मोशन पर स्टेटमेंट दे सकता है या सवाल पूछ सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ सकता है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्टेटमेंट तो सरकार देगी, ये तो केवल सवाल पूछ सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। बाकी सारे तो चले गए हैं अब तो मैं अकेला ही विपक्ष का सदस्य रह गया हूं और अपनी बात कह कर मैं भी चला जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा आखिरी सवाल यह है कि भारत सरकार के नार्म्ज को मानते हुए हरियाणा के किसानों की हालत को देखते हुए क्या यह सरकार, जो किसानों की हितैषी सरकार बनती है, इस सूखे की हालत में हरियाणा के लोगों को विशेष रियायतें देगी जिसमें बिजली के बिल माफ करना, आगरा कैनाल समेत सबका आबियाना माफ करना और पीने के पानी तथा बिजली के जो प्रबन्ध हैं उनको करेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों की सरकार की कारगुजारी आप देखें ताजेवाला हैड से यमुना में पानी नहीं। (विघ्न)

वाक-आउट

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ** *** ***

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब की और कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के विधायक श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए)

वक्तव्य

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : आदरणीय स्पीकर साहब, पहले तो चौधरी कर्ण सिंह जी ने एक बात कही कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी ने मीटिंग बुलाई और उसमें हरियाणा प्रदेश के कृषि मन्त्री जी नहीं गए। स्पीकर सर, बड़े-बड़े अखबारों में और टी०वी० तथा सारे मीडिया ने हमारे प्रदेश के कृषि मन्त्री की बात को प्रकाशित किया और साथ ही रैवैन्यू मिनिस्टर्ज की भी बैठक थी तथा मैं भी उनके साथ उस मीटिंग में गया था। हमारे अधिकारी भी गए थे तथा कृषि विभाग के अधिकारी भी गए थे। पता नहीं इनको क्या वहम हो रहा है, अखबारों में क्या होता है क्या नहीं होता है। अखबार तो फोटो भी छाप रहा है और दूसरा अखबार प्रकाशित कर रहा है कि कृषि मन्त्री, हरियाणा ने अपने पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से रखा है इसके बावजूद दलाल साहब यह गैरजिम्मेदाना बात कह कर गए हैं। मैंने अपने रिप्लाई में आबियाना माफ करने की बात कही तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खुलेमन से कहा है इसमें आगरा कैनाल भी है, भाखड़ा सिस्टम भी है, डब्ल्यू०जे०सी० भी है यह सब अलग-अलग कहां से हो गया। कल तक तो ये आगरा कैनाल की बात करते थे। जब विपक्ष में चौधरी बंसी लाल जी के साथ थे तो कहा करते थे कि हमारी सरकार आने दो इस आगरा कैनाल का कब्जा तो हम लट्ठ से ले लेंगे। जब इनकी सरकार आई तब मैंने विपक्ष की तरफ बैठे हुए इनको याद भी करवाया था कि आपका वह लट्ठ अब कहां है तो ये बोले कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे पूछती नहीं तथा हमारी वहां पर चलती नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल अखबारी राजनीति करते हैं और व्यवहारिकता से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वे एक और बात कह कर गए कि कोई मन्त्री नहीं गया मुख्य मन्त्री जी नहीं गए। हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो हर समय दौरे के लिए तैयार रहते हैं। चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो जितना दौरा गांवों में, शहरों में, वार्डों में तथा चौपालों में माननीय मुख्य मन्त्री जी करते हैं मेरे ख्याल से आज तक किसी मुख्य मन्त्री ने नहीं किया इसके बावजूद भी ये इस तरह की बात करते हैं। कर्ण सिंह जी को तो केवल अखबारों की बात ही आती है और पता नहीं कहां से इस प्रकार की बातें ये उठा लाते हैं। वे गैर जिम्मेदाराना बात कह कर चले गए उनमें सुनने की हिम्मत नहीं। इसलिए मैं हाउस से कहना चाहता हूं कि माननीय

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री धीरपाल सिंह]

मुख्य मन्त्री जी ने सबसे पहले मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी ने बैठक बुलाई और मीटिंग से आने के बाद कृषि विभाग की तरफ से और रैवेन्यू विभाग की तरफ से जो भी सूखे से प्रभावित इलाके देखने में आए उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। जैसा मैंने कहा कि 1100 करोड़ रुपये की हमने डिमाण्ड दे दी है। नौ लाख टन मस्टर्ड तथा गेहूं की मांग की है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने सप्लीमैंटरी पूछी। दूसरे मैम्बर्ज ने भी सप्लीमैंटरी करी है। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज : अध्यक्ष महोदय, ये बाय काट करके गए थे और फिर आ गए हैं।

चौधरी भजन लाल : हम वाक आउट करके गए थे और फिर वाक आउट करेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य तो बाय काट करके गया था और फिर सदन में आ गया है। आप चाहें तो इस बारे में रिकार्ड मंगवा कर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उनको बाहर निकाल दिया। आपने उनको किस रूल के तहत निकाला है आप इस बारे में भी हमें बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अब जो आप बात कर रहे हैं यह बात आप पहले भी कर सकते थे। अब आप यहां पर आ गए हैं और प्रैस वालों को आपने अपनी बात कह दी कि हम वाक आउट करेंगे। आपको उस वक्त मौके पर होना चाहिए था और सदन में आपको अपनी सलाह देनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान) अब आप अपनी सीट पर बैठें और मंत्री जी का जवाब सुनें। जवाब आने के बाद अब आप क्या बोलेंगे।

वित्तमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि अपनी सप्लीमैंटरी पूछें। श्री सजेन्द्र सिंह बिसला जी ने, श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने अपनी अपनी सप्लीमैंटरी पूछी थी। यहां पर यह बात आई थी कि सभी मैम्बर्ज को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा और सभी मैम्बर्ज बोल लिए लेकिन ये वाक आउट करके चले गए थे। अगर ये वाक आउट सिम्बोलिक कर लेते, थोड़ा सा बाहर जाकर वापिस आ जाते तब तो कुछ बात ठीक होती। लेकिन ये तो ड्राउट के बारे में सीरियस ही नहीं थे। अब ये वाक आउट तो करके चले गए लेकिन बाहर जाने के बाद इन्हें किसी ने कहा कि वाक आउट करके आपने अपना सत्यानाश कर लिया है। उसकी बात इनके समझ में आ गई और अब ये अन्दर आ गए। अब तो मंत्री जी अपना फाईनल जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप कैसे बोल रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी कैसे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे मन्त्री हैं और वे जवाब दे सकते हैं। आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने किस रूल के तहत कैप्टन अजय सिंह को सदन से रैस्ट आफ दि सैशन निकाल दिया। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा था वह तो आपने कार्यवाही से निकाल दिया था। फिर आपने उनको क्यों सदन से निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : उनकी एक बार की बात को कार्यवाही से निकाला था लेकिन वह बार-बार पीछा करके बात कह रहा था। कभी राम किशन फौजी से झगड़ रहा था तो कभी किसी से। उसका तरीका ही गलत था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने तो उनको रैस्ट आफ दि सैशन के लिए निकाल दिया है। आपसे हमारी रिक्वैस्ट है कि बाकी दिनों के लिए आप उनको सदन में बुला लें।

श्री अध्यक्ष : वह इसी के काबिल था। उसका सदन में तरीका ठीक नहीं था।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : ये जो फसल काटने लग रहे हैं उसमें सबसिडी बीच में दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहें कि ये चेयर से बात करें डायरैक्ट बात नहीं बोलें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये यहां पर कह कर चले गए कि किसान की फसल के साथ ज्यादती कर दी। ये साथी किसान हैं, हम भी किसान हैं और दर्शक दीर्घा में भी किसान भाई बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बारिश नहीं हो रही थी तभी कहा था कि स्पैशल गिरदावरी की जाए। यह गिरदावरी 5-8-2002 को शुरु की गई थी और बारिश 13, 14 और 15 को हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, हमारे इलाके में तो अभी तक भी बारिश नहीं हुई है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इनका एक साथी गैर जिम्मेदाराना बात कह गया है इसलिए मैं उसका जवाब तो दूंगा ही। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, पांच तारीख को गिरदावरी हो गयी। सारे के सारे किसान इस बात को महसूस करते थे कि पांच तारीख को स्पैशल गिरदावरी शुरु हुई है इसलिए उन्होंने जुताई नहीं की। (विघ्न) इनका एक साथी जो जुताई की बात कह गया है उनकी वह बात बिल्कुल बेसलैस है। राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने चारे की कमी के बारे में सरकार की स्कीम जानना चाही है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चारे के बारे में उन सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं जहां पर चारे की संभावना अच्छी है। उन्होंने उनको कहा कि चारे को बेकार न जाने दें। (विघ्न) स्पीकर साहब, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर और कैथल ये इलाके जीरी पैदा करने वाले इलाके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन इलाकों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर जीरी

[श्री धीरपाल सिंह]

की खेती होती है और जहां पर धान की कटाई के बाद किसान अपने धान की पुआल को जलाते हैं तो इस बार यह पुआल उनको न जलाने दें। चूंकि इस बार कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई इसलिए आगे चलकर वहां पर चारे का अभाव हो सकता है तो इसी बात को ध्यान में रखकर धान की पुआल नहीं जलाने को कहा गया है। स्पीकर सर, ऐसे इलाके के किसान जहां पर बारिश नहीं हुई जब चारे की डिमांड करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से चारे का प्रबन्ध किया जाएगा।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें। इनकी अब कोई बात रिकार्ड न करें।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, * * *

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, सिरसा जिले को जो चारे की सप्लाई होगी वह कुरुक्षेत्र जिले से होगी, हिसार जिले को चारे की सप्लाई करनाल जिले से की जाएगी और भिवानी जिले को चारे की सप्लाई सोनीपत, रोहतक एवं अम्बाला जिलों से की जाएगी।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ जिले में अगर चारे की कमी होगी तो वहां पर चारे की सप्लाई फरीदाबाद और यमुनानगर जिलों से की जाएगी। फतेहाबाद जिले को चारे की सप्लाई कैथल, टोहाना एवं रतिया उप मंडल से की जाएगी। (विघ्न) धर्मबीर जी, आप हरियाणा की बात छोड़िए हम तो राजस्थान को भी पानी और चारा देने लग रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा हल्का बिल्कुल सूखा है। इसलिए आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। यह सरकार का काम है कि पुआली कहां जाएगी और किसको मिलेगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने दवाई के लिए पैसे दिये, पीने के पानी के लिए पैसे दिये और डी०सीज० को आदेश दिये कि जोहड़ों में पानी डाला जाए और पानी डाला गया। धर्मबीर सिंह के यहां पानी या चारे के अभाव में कोई जानवर मरा हो तो अलग बात है वैसे किसी गरीब आदमी का, गरीब किसान का पानी या चारे के अभाव में कोई जानवर नहीं मरा।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर सिंह की कोई बात रिकार्ड न की जाए। धर्मबीर जी, आप बैठ जाइए।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मात्र पांच

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

करोड़ रुपये की राशि जारी की है व राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने मात्र 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने सूखे की विकट स्थिति से निपटने के लिए किसानों को क्या इमदाद दी है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि सूखे से निपटने के लिए किसानों को बिजली, पानी, दवाई, बीज इत्यादि सारी सामग्री दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आपकी रिप्लाई कंप्लीट हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। हमारी सरकार किसान के प्रति पूरी तरह हमदर्द है और गिरदावरी के बाद किसान का जो हमसे बनेगा वह उसे पूरा दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

तुम्हारी तरह नकली गिरदावरी नहीं करते हैं असली करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश की कोई बात रिकार्ड न की जाए। ये बगैर परमीशन के बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको बार बार रूल्ज बताने पड़ेंगे। फाइनल रिप्लाई के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जब इन लोगों को बोलने का अवसर दिया गया था तब ये लोग बाईकाट कर गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, बाईकाट नहीं करके गए थे वाकआउट करके गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, डॉ० कादयान से पूछें वे क्या कह के गया था। यह बात रिकार्ड में है इन्होंने कहा था कि बाईकाट करता है। मैंने जाते जाते इनको कहा भी था कि आप कम से कम सात लोग तो बोल लें उस वक्त थारे में समझ नहीं थी। उस वक्त सात आदमी अपनी बात कह सकते थे। जो सात में से रह गए उनको भी अवसर दिया गया। डॉ० तो बाईकाट करके गया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : वाक आउट करके गए हैं। बाईकाट करके नहीं गए हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : डॉ० रघुवीर कादयान आपके साथ वाकआउट करके गए और फिर वापस आ गए मैंने पूछा अब क्या करोगे तो कहने लगे कि अब बाईकाट करूंगा। अध्यक्ष महोदय, फाइनल रिप्लाई के बाद क्या कोई सप्लीमैंट्री आ सकती है, नहीं आ सकती है।

Mr. Speaker : No further discussion is allowed on Calling Attention Motion.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ईमानदारी से, गंभीरता से किसानों के हक में है और हमने इस बात को ध्यान में रखकर तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई है तहसीलदार 100 परसैंट गिरदावरी की तहकीकात, एस०डी०एम० 25 परसैंट गिरदावरी की तहकीकात, डी०सी० 10 परसैंट गिरदावरी की और कमिश्नर 2 परसैंट गिरदावरी की तहकीकात करेगा इनको पूरी तहकीकात करनी है इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : जिस किसान की फसल बोई ही नहीं गई उसको क्या दोगे। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : दक्षिणी हरियाणा में तो सरसों की बिजाई के लिए साडू रखते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये कभी खेत में जाते नहीं, इनको हाली का नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि फसल बीमा योजना भारत सरकार की स्कीम है।

श्री धर्मवीर सिंह : *********

चौधरी जय प्रकाश : *********

डा० रघुवीर सिंह कादियान : *********

श्री अध्यक्ष : मंत्री के सिवाय और जो भी सदस्य बोल रहे हैं उनका रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सुनें तो सही और पेशैंस रखें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल और हुड्डा साहब गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहे थे कि फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई इसलिए नुकसान हो गया। अगर यह फसल बीमा योजना लागू हुई होती तो लोगों को राहत मिल जाती। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो रिप्लाई आ रहा है, इसको इनको बड़े सीरियस होकर सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : *********

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमिशन के बोल रहे हैं, उनका रिकार्ड न किया जाए। बहस का मौका हो तो वाक आउट करके चले जाते हो। बहस नहीं सवाल पूछो। जय प्रकाश जी आपको अथोरिटी नहीं मिली हुई है जो इस तरह खड़े हुए हैं, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, there is a matter of concern, बार-बार पेपर्ज में, हर प्लेटफार्म से, डिफरैंट पोलीटिकली पार्टियों ने अपने-अपने प्लेटफार्म से, आज असैम्बली के प्लेटफार्म से सब ने फसल बीमा योजना पर अपनी-अपनी बात रखी। 2-3 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी बीच में हुड्डा साहब और डाक्टर कादियान साहब भी इस बारे में कुछ कह रहे थे। यह बड़ी सीरियस बात है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना के ऊपर रिवैन्यू मिनिस्टर का जवाब आ रहा है, उसे ध्यान से सुन लें क्योंकि बाद में आप लोगों को शंका रह जाती बार-बार अखबारों में और आम लोगों में बहम हो जाता है कि हरियाणा सरकार ने फसल लागू नहीं की इसलिए नुकसान हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम

के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से बराए मेहरबानी करके सारे हाउस को कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण पोलिसी है उसके बारे में रिवैन्यू मिनिस्टर जी जवाब दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनें ताकि इनको पता लगे कि यह क्या पोलिसी है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नो सप्लीमैंटरी, नो सप्लीमैंटरी। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री वीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने फसल बीमा स्कीम लागू क्यों नहीं की। फसल बीमा लागू न करने के कई कारण हैं। पहला कारण यह था कि जो बीमा फसल का होना था उसके रेट इतने ज्यादा थे कि साधारण, मीडियम और निम्न सत्र के किसान वह रेट नहीं दे सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) दूसरा कारण यह था कि एवरेज यील्ड का फार्मूला किसानों के हित में नहीं था क्योंकि पिछले तीन साल की फसल की एवरेज यील्ड के हिसाब से फसल का बीमा किया जाना था और हो सकता है कि पिछले तीन साल में सर्दी की मार की वजह से, बरसात कम होने की वजह से या किसी और कारण से फसल कम हुई हो। तीसरा कारण था क्रोप्स फंड। इसका मतलब यह है फसल बीमा के लिए 50 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देगी और 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी। इस बात का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि दूसरे प्रदेशों के कृषि मन्त्रियों ने भी इसका विरोध भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री अजीत सिंह के सामने किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि विरोध करने वालों में जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य के कृषि मंत्री भी शामिल थे। पंजाब की कृषि मंत्री मट्ठल मैडम ने भी इसका विरोध किया था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब और चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि इस बात का सभी राज्यों के कृषि मन्त्रियों ने अफसोस किया कि 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का शेयर होगा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार का। हम चाहते हैं कि इसमें दो हिस्से केन्द्र सरकार के हों और एक हिस्सा राज्य सरकार का हो। (शोर एवं व्यवधान) फसल बीमा स्कीम लागू न करने का चौथा कारण फसल की लोस प्रतिशतता अधिक होने का था। बीमे की शर्त के अनुसार जिस फसल का बीमा हुआ हो वह तभी मिलेगा जब फसल का 90 प्रतिशत नुकसान हुआ हो। स्पीकर सर, कोई भी रूल किसानों के हक में नहीं था यही कारण है कि हमारे नेता ने और हमने यह स्कीम लागू नहीं की। (शोर एंव व्यवधान) स्पीकर सर, लेकिन विपक्ष के साथी तो अखबारों की सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं और इन्हें इतना मालूम नहीं है कि कौन सी स्कीम किसानों के हक में है और कौन सी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमारे कृषि विभाग ने और रैवेन्यू विभाग ने इस स्कीम की पूरी तहकीकात की है कि यदि यह बीमा स्कीम लागू कर दी जायेगी तो किसान बरबाद हो जायेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं बल्कि 75 प्रतिशत हिस्सा देती है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अब केवल 50 प्रतिशत हिस्सा देती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी से पूछना चाहूंगा कि ये पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे। उस समय इन्होंने यह स्कीम लागू क्यों नहीं की ? (शोर एंव व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि जिस समय मैं केन्द्र में कृषि मंत्री था उसी समय मैंने यह स्कीम चालू करवाई थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम मान लेते हैं कि इन्होंने यह स्कीम चालू करवाई होगी। जगन्नाथ जी यहां पर नहीं हैं वे कहते थे कि लाल किला भी बंसी लाल ने बनवाया और लोशाम का पहाड़ भी बंसी लाल जी ने बनवाया। वैसे ही हम भी मान लेते हैं कि यह स्कीम आपने लागू करवाई होगी। उसके बाद ये पांच साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं उस समय इन्होंने यह स्कीम हरियाणा में शुरु क्यों नहीं की।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं। (विघ्न) हमने यही कहा था कि 75 18.00 बजे परसैन्ट पैसा भारत सरकार को देना चाहिए तब जा करके इस स्कीम को लागू किया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, ये कह रहे हैं कि यह स्कीम इन्होंने लागू की थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनकी स्कीम के मुताबिक तो भारत सरकार ने 50 प्रतिशत पैसा देना था तो फिर ये 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार की तरफ से देने की बात कैसे कह रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अब तो सैन्टर में आपकी सरकार है। अब 75 प्रतिशत करा लो। (विघ्न) हमारे वक्त कुछ दूसरी स्टेट वाले नहीं माने थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कभी आप कहते हैं कि यह स्कीम मैंने लागू की थी। (विघ्न) आपको ज्ञात कुछ है नहीं। आपको यह नहीं पता कि आपकी स्कीम 75 प्रतिशत की थी या 50 प्रतिशत की थी। आपसे पहले भी जो मैम्बर बोल कर गए वे भी 75 प्रतिशत बोल कर चले गए। इनकी हाउस को गुमराह करने की एक सोच पैदा हो गई है। धीरपाल जी ने खड़े होकर के बता दिया कि यह जो बीमा स्कीम है यह किसानों के हित की नहीं है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : हम तो यही चाहते हैं कि 75 प्रतिशत की जो परपोजल भारत सरकार की तरफ से है, वह लागू होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब जिस स्कीम की बात चौधरी भजन लाल जी कर रहे हैं उस स्कीम के मुताबिक तो इनकी स्कीम 90 प्रतिशत नुकसान की थी, यानि किसान का 90 प्रतिशत नुकसान होता है तो उस स्कीम का फायदा किसान को होगा। अगर 90 प्रतिशत के हिसाब से पोलिसी लागू की जायेगी तो उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हरियाणा सरकार ने, किसान नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और हाउस के नेता ने किसानों का पूरा हित रखा है। स्पीकर साहब, जब ये केन्द्रीय कृषि मंत्री थे, उस वक्त जो ये स्कीम बना कर गए थे उसको हमने फाड़

करके एक तरफ रख दिया है। 90 प्रतिशत खराबे वाली बात हम नहीं मानते। आप यह भी नीति बना करके गए थे कि जो रकबा किसी कारण से बिजाई नहीं होगा उस पर भी यह स्कीम लागू नहीं होगी। अगर सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है या और कोई आपदा आती है तो ----------

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये। **********

श्री अध्यक्ष : आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं, इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं उस स्कीम की बात कर रहा हूं जो भजन लाल जी बना करके गए थे। इनकी बनाई हुई नीति किसानों के हित में नहीं थी। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बचाने के लिए इस स्कीम को लागू नहीं किया, यह उल्लेख मैंने अपने जवाब में किया है।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा-

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairperson :—

1. Shri Balwant Singh Maina ;
2. Shri Rajinder Singh Bisla ;
3. Shri Ajay Singh ; and
4. Smt. Sarita Narain

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :—

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Lila Krishan	Member
3.	Smt. Veena Chhibbar	Member
4.	Shri Rajinder Singh Bisla	Member
5.	Shri Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा-

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2002 में हुए सत्र में पारित किए थे, तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

1. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2002.
2. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2002.
3. The East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 2002.
4. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2002.
5. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2002.
6. The Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and other Services Common/Combined Examination Bill, 2002.
7. The Haryana Apartment Ownership (Amendment) Bill, 2002.
8. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2002.
9. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2002.

मान्यवर मैंने सदन को सूचित करना है कि राष्ट्रपति महोदय ने *हरियाणा लोकायुक्त विधेयक 1999 जिसे हरियाणा विधान सभा ने नवम्बर 1999 में हुए अपने सत्र में पारित किया था, अपनी अनुमति रोक ली है।

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the 2nd September, 2002 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday the 2nd September, 2002 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Tuesday, the 3rd September, 2002 shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and again meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Wednesday, the 4th September, 2002, the Assembly shall meet 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee after some discussion, also recommends that the Business on the 2nd to 4th September, 2002, be transacted by the Sabha as follows :—

Monday, the 2nd September, 2002 (2.00 P.M.)	1. Obituary References. 2. Questions Hour.

	3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
Tuesday, the 3rd September, 2002 (9.30 A.M.) (Ist sitting)	1. Questions Hour.
	2. (i) Presentation of Supplementary Estimates for the year 2002-2003 (first instalment) and the report of the Estimates Committee thereon.
	(ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2002-2003 (first instalment).
	3. Presentation, Discussion and Voting on Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 1997-98 and 1998-99.
Tuesday, the 3rd September, 2002 (2.00 P.M.) (IInd sitting)	1. The Haryana Appropriation Bill, 2002 in respect of Supplementary Estimates for the year 2002-2003 (first Instalment).
	2. The Haryana Appropriation Bill, 2002 in respect of Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 1997-98 and 1998-99.
	3. Legislative Business.
Wednesday, the 4th September, 2002 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of Sabha Sine die.
	4. Legislative Business.
	5. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल : नो-नो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न एवं शोर)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए कि ये मूव तो होने दें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, पहले पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर को रिपोर्ट मूव तो कर लेने दें आप उसके बाद ही तो बोलेंगे। क्या आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है कि आप मूव करने से पहले ही बोल रहे हैं। इन्होंने तो एक ही बात सीख रखी है, नो। इनको पता ही नहीं कि नो किस वक्त बोलना है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि भूतपूर्व विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं और मौजूदा विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं लेकिन इनको यह मालूम ही नहीं है कि किस टाईम क्या बात करनी है। पहले मूव तो करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, क्या आप मूव करने में भी नो करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको पता ही नहीं किस वक्त क्या बोलना है ? आप मूव ही नहीं होने देते और पहले ही नो कहते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : हुड्डा साहब, पहले आप ट्रेनिंग लें। हमने तो यह सोचा था कि आप बहुत ट्रेनिंग ले कर आए हैं। विपक्ष के नेता के रूप में आपके ब्यान अखबारों में आए थे कि इस बार देखना कि विपक्ष का नेता कैसा होता है। बार-बार आपके ब्यान आ रहे हैं आप थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग ले लेते कि क्या करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप मोशन मूव करें।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

डा० रघुवीर सिंह कादयान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की जो रिपोर्ट इस समय इस हाउस में रखी गई है इसमें दो सिटिंग्ज मॉर्निंग इवनिंग 3 सितम्बर के लिए रखी हैं। स्पीकर सर, जैसा कि आप कहते हैं कि इस समय काम नहीं है लेकिन आपको मालूम है आज प्रदेश में सूखे की स्थिति है और सूखे की मार लोगों पर पड़ी है। आज खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं है और लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। इसके लिए ऐडजॉर्नमैंट मोशन भी रखा गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह जी आपकी एडजर्नमैंट मोशन को कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। मैंने तो पेपर अब देखा है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

डा० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो सदन है इसका समय आपने बहुत कम रखा है आप इसको एक्सटैंड करके कम से कम 10 दिन तक बढ़ा

दें। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में लोकतन्त्र में एक चुने हुए नुमायंदे के लिए यही एक जगह है जहां वह अपनी बात कर सकता है .....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। अब मिनिस्टर बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे बी०ए०सी० मीटिंग में भी निवेदन किया था कि सदन में सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए और आज के बाद सदन की दो दिन की ही बैठक है। कल आपने डबल सीटिंग कर दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन को 5 तारीख तक बढाया जाए ताकि सभी को यहां पर बोलने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष : जब बोलने का मौका आया था तब तो आपकी सारी पार्टी वाक आउट करके चली गई थी तो मैं किसको बोलने के लिए कहता। क्या बैंचों को बोलने के लिए कहता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने कैप्टन को रैस्ट आफ दि सैशन के लिए सस्पैंड कर दिया है। वे सदन में अपनी बात बोलना चाहते थे और आपने उन्हें और हमें अपनी बात बोलने के लिए मौका नहीं दिया। जब वे अपनी बात कहना चाहते थे तो आपने उनको सस्पैंड कर दिया।

श्री अध्यक्ष : उनका व्यवहार ही ऐसा था इसलिए मुझे उनको सस्पैंड करना पड़ा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप उनको आज के लिए सस्पैंड कर दे लेकिन बाकी दिनों के लिए तो उनको बुला लें। रैस्ट आफ दि सैशन के लिए सस्पैंड करना यह ठीक बात नहीं है। आप इस बारे में दोबारा से विचार करें तथा सैशन को भी 5 तारीख तक बढ़ा दें।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Ordinance, 2002.

(Haryana Ordinance No. 1 of 2002).

Sir, I also beg to re-lay on the Table—

The Education and Languages Department Notification No. S.O. 38/H.A. 12/1999/Ss. 8 and 24/2001, dated the 29th March, 2001 regarding Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001, as required under Section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

[Prof. Sampat Singh]

Sir, I also beg to lay on the Table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 9 Const./Art. 320 Amd. (1)/2002, dated the 30th May, 2002 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2002, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 169/H.A. 20/1973/S. 64/2001, dated the 31st October, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 58/H.A. 20/1973/S. 64/2002, dated the 22nd July, 2002, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Animal Husbandry Department Notification No. S.O. 56/H.A. 6/2001/S. 17/2002, dated the 10th July, 2002, as required under Section 17(3) of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 1998-1999, as required under Section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 1999-2000, as required under Section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana, for the year 1999-2000, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 1998-1999, as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The 3rd Annual Report of the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 1999-2000, as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The 29th Annual Report of the Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2000-2001, as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The 34th Annual Report and Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under Section 619A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री रघुबीर सिंह, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges will present the Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadyan, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House on 5th March, 2002.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadyan, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson of the Privileges Committee will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Rajender Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping

[Mr. Speaker]

greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Rajender Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, एम०एल०ए०, श्री धर्मबीर सिंह, एम०एल०ए० और श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by

Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Committee of Privileges will present the first Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly on 5th March, 2002.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. rgarding taking of mock chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 3rd September, 2002.

*18.23 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 3rd September, 2002.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY

35878—H.V.S.—H.G.P., Chd.